



Management Institute, The Warsaw University of Life Sciences , Poland
Scientific Research Association
&
Swaraj Research Institute

in association with
Research Culture Society

International Conference on Global Research Trends in Higher Education

(ICGRTHE-2022)

25 - 26 November, 2022

Shikshan Sanshodhan :

Journal of Arts, Humanities and Social Sciences

(ISSN: 2581-6241)

(Scientific Journal Impact Factor: 5.146)


Monthly Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Research Journal

DOIs:10.2018/SS/ICGRTHE-2022



Conference Special Issue - 6

November - 2022



RESEARCH CULTURE SOCIETY & PUBLICATION

Email: shikshansanshodhan@gmail.com

Web Email: editor@ijrcs.org

<http://shikshansanshodhan.researchculturesociety.org/>



International Conference on Global Research Trends in Higher Education

Date: 25 - 26 November, 2022

Jodhpur, Rajasthan, India

Conference Special Issue - 6

The Managing Editor:

Dr. C. M. Patel

(Research Culture Society and Publication)



Organized by :

Management Institute, The Warsaw University of Life Sciences , Poland

Scientific Research Association

Research Culture Society

&

Swaraj Research Institute

Published by :

Shikshan Sanshodhan :

Journal of Arts, Humanities and Social Sciences

International Conference on Global Research Trends in Higher Education

The Managing Editor:

Dr. C. M. Patel

(Research Culture Society and Publication)

(Conference Special Issue)

Copyright: © Management Institute, The Warsaw University of Life Sciences, Poland; Scientific Research Association; Research Culture Society & Swaraj Research Institute. The research work, information compiled as a theory with other contents are subject to copyright taken by author(s) / editor(s) / contributors of this book. The author(s) / editor(s)/ contributors has/ have transferred rights to publish book(s) to 'Research Culture Society and Publication Journal'.

Disclaimer: The author/authors/contributors are solely responsible for the content, images, theory, datasets of the papers compiled in this conference special issue. The opinions expressed in our published works are those of the author(s)/contributors and does not reflect of our publication house, publishers and editors, the publisher do not take responsibility for any copyright claim and/or damage of property and/or any third parties claim in any matter. The publication house and/or publisher is not responsible for any kind of typo-error, errors, omissions, or claims for damages, including exemplary damages, arising out of use, inability to use, or with regard to the accuracy or sufficiency of the information in the published work. The publisher or editor does not take any responsibility for the same in any manner. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the copyright owner.

Online / Imprint: Any product name, brand name or other such mark name in this book are subjected to trademark or brand, or patent protection or registered trademark of their respective holder. The use of product name, brand name, trademark name, common name and product details and distractions etc., even without a particular marking in this work is no way to be constructed to mean that such names may be regarded as unrestricted in respect of trademark and brand protection legislation and could thus be used by anyone.

Published By:

Published By:

Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences (ISSN: 2581-6241)

शिक्षण संशोधन : कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान जर्नल

Research Culture Society and Publication.

(Reg. International ISBN Books and ISSN Journals Publisher)

Email: shikshansanshodhan@gmail.com / editor@ijrcs.org

<http://shikshansanshodhan.researchculturesociety.org/>



About the organizing Institutions:

Management Institute was established in 2019. The Institute, in its assumptions, conducts research, as well as disseminates knowledge in the field of management science and quality, and in particular: knowledge management, digital management, or social corporate responsibility (CSR). The Institute attaches great importance to cooperation with domestic and, in particular, foreign universities and other research entities. The Institute takes care of the high level of knowledge, skills and competences of its staff.

The Warsaw University of Life Sciences is the oldest agricultural university in Poland and the fourth of this type in Europe. Its origins date back to 1816 and are related to the establishment of the Agronomic Institute in Marymont. The advocates of its foundation were Stanisław Staszic and Stanisław Potocki, and its first director was Jerzy Benjamin Flatt, one of the best experts in economic relations in the Kingdom of Poland.

International Scientific Research Association (Scientific Research Association) is registered and an esteemed research association working on to provide scientific research services, educational studies and activities at international level, also coordinate with other research organizations for the educational research events. Scientific Research Association as honorary partner of the 'Research Culture Society' with MoU – collaboration.

'Research Culture Society' (RCS) is a Government Registered International Scientific Research organization. Registered with several United or Government bodies. It is also an independent, professional, non-profit international level organization. RCS-ISRO shall also initiate and setting up new educational and research programs with other international organizations. Society has successfully organized 100+ conferences, seminars, symposiums and other educational programmes at national and international level in association with different educational institutions.

Swaraj Research Institute is involved in sponsoring and organizing National/International Conferences, Seminars, Workshops and Faculty Development Programmes. The institute also provides the facility of publication of books and research papers to the research scholars in national and international journals since 2015. Swaraj Research Institute also has a publication tie-up with Research Culture Society.

Supported by: Institut für Dienstleistung, Germany.

About the Conference and Publication:

The current trends in higher education and advances in the Social Sciences, Business Management research with the whole concept of this advanced technology is to process from the past, analyse the present and implement for the future the latest innovative evolving theories and technologies to surpass the hurdles and make modish frontiers.

Management of Business and Management of the Economy are two major pillars of world growth and wealth increase. The papers in this book cover various areas of the social sciences, commerce, management as well as varying aspects of higher education trends. Almost all papers are prepared as per the objectives : to observe scenarios towards the trends and advancement of common citizens' life by improving the theory and practice of various disciplines of Social Sciences, Commerce, Business, Management and Economy.

The edited issue is a collection of peer-reviewed scientific papers submitted by active researchers in International Conference on Global Research Trends in Higher Education - 2022. This edited issue can be important to understand the various concepts of Social Sciences, Commerce, Business, Management and Economy to the researchers and academia

Objective of the International Conference:

The main objective of the scientific conference is to discuss issues, exchange of ideas and views towards the advancement of theory and practices and to create space for presentation of current results of scientific work in the field of Social Sciences, Commerce and Business Management. Our main Aim is to organize lectures by scientists and experts and to disseminate their ideas and concepts among the Social Sciences, Commerce, Business Management and Another aim of the conference is to provide an interaction stage for researchers and practitioners from academia and industries to deal with advancement in their respective fields.

WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES, POLAND
MANAGEMENT INSTITUTE



MESSAGE



Dear Ladies and Gentlemen,

Thank you for your attendance at International Conference on Global Research Trends in Higher Education - 2022.

This year the Conference is jointly organized by the Scientific Research Association; Research Culture Society and the Management Institute from Warsaw University of Life Sciences, Poland.

The theme of the conference is very actual and worth discussing. It has a broad scope and great relevance in the context of the current scenario of the situation in the world during the COVID 19 pandemic. The Conference light on the consequences of the current global trends in education and will point out the new challenges in the business environment.

I would like to take the opportunity to thank you all for contributing to this Conference.

I look forward to meaningful presentations, discussions, and collegial networking.



Prof. dr hab. Joanna Paliszkievicz

Director of Management Institute
Warsaw University of Life Sciences

Dr.C. M. Patel

Director, RESEARCH CULTURE SOCIETY

Web: www.researchculturesociety.org

Email : director@researchculturesociety.org



Message

Dear Professional Colleagues.

I am very glad that ‘Scientific Research Association’, Management Institute, The Warsaw University of Life Sciences , Poland in collaboration with ‘Research Culture Society’ (Government Registered Scientific Research organization) are organizing - ‘International Conference on Global Research Trends in Higher Education’ at Jodhpur, Rajasthan, India during 25 - 26 November, 2022.

The aim of the conference is to provide an interaction stage to researchers, practitioners from academia and industries. The main objective is to promote scientific and educational activities towards the advancement of common citizen’s life by improving the theory and practice of various disciplines of social sciences, business management and global trends in higher education fields. Second objective is to provide the delegates to share their new research ideas and the application experiences face to face.

I believe, this International Conference will help in redefining the strong connection between students and academicians from different institutions. An additional goal of this international conference is to combine interests and scientific research related to Social Science, Commerce, Business Management and higher educational development; to interact with members within and outside their own disciplines and to bring people closer for the benefit of the scientific community worldwide.

My best wishes to the committee members, speakers and participants of this scientific conference.


Dr.C. M. Patel

Director, Research Culture Society.

Conference Committee :

Patrons: Conference Chair Members :

Prof. Dr hab. Joanna Paliszkievicz, Director of Management Institute, Warsaw University of Life Science - SGGW, Warszawa, Poland.

Professor. Christopher Simoonga, Vice Chancellor, Chreso University, Zambia, Southern Africa.

Dr. C. M. Patel, Director – Research Culture Society.

Keynote Speakers:

Prof. Dr hab. Joanna Paliszkievicz, Director of Management Institute, Warsaw University of Life Science - SGGW, Warszawa, Poland.

Dr.Piotr Pietrzak, Adjunct Professor, Management Institute at Warsaw University of Life Sciences (SGGW), Warszawa, Poland.

Dr. Xihui Chen, Assistant Professor, Accounting and Finance, Edinburgh Business School, Heriot-Watt University, Edinburgh, United Kingdom

Dr (hc) Rania Lampou, STEM instructor and an ICT teacher trainer, Greek Ministry of Education, Greece and the Global Speaker.

Session Chair :

Dr.Piotr Pietrzak, Adjunct Professor, Management Institute at Warsaw University of Life Sciences (SGGW), Warszawa, Poland.

Dr. Xihui Chen, Assistant Professor, Accounting and Finance, Edinburgh Business School, Heriot-Watt University, Edinburgh, United Kingdom

Dr. C. M. Patel, Director – Research Culture Society.

Dr. Paresh Shah, Principal and Professor, Rai University. Alumnus of Indian Institute of Management (IIM) Ahmedabad, India. International Awardee, Author of Oxford University Press.

Dr. Anna Jasiulewicz, Assistant Professor, Management Institute at Warsaw University of Life Sciences (SGGW), Warszawa, Poland.

Dr. B Suresh Lal, Professor, Department of Economics, Kakatiya University, Warangal, Telangana State, India.

Committee Members :

Dr.Piotr Pietrzak, Adjunct Professor, Management Institute at Warsaw University of Life Sciences (SGGW), Warszawa, Poland.

Dr.Francesca Di Virgilio, Associate Professor, Department of Economics – University of Molise, Campobasso, Italy.

Dr.Yanina Lisun, Associate Professor, Head, Department of Journalism and Advertising, Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine.

Dr. Jessica, Founder and Head, International Scientific Research Association (ISRA).

Dr.(hc)Rania Lampou, STEM instructor and an ICT teacher trainer, Greek Ministry of Education, at the Directorate of Educational Technology and Innovation, Greece.

DR. Mangu Ram, Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Commerce and management studies, Jai Narain Vyas University, Jodhpur, Rajasthan, India

Dr.Alimnazar Islamkulov, Associate Professor, The Academy of Public Administration under the President of the Republic of Uzbekistan.

Dr Harmeet Kaur, Dean, Faculty of Commerce & Management Jharkhand Rai University, Ranchi, India

The Managing Editor:

Dr. C. M. Patel (Research Culture Society and Publication)

Conference Coordinators:

Dr. Anna Jasiulewicz, Assistant Professor, Management Institute at Warsaw University of Life Sciences (SGGW), Warszawa, Poland.

Dr. Kiran Sood, Professor, Chitkara Business School, Chitkara University, Punjab, India.

Dr. Prakash Indalia, Director, Swaraj Research Institute, Rajasthan, India

Dr. Purvi Derashri, Associate Professor, Faculty of Management Studies, Parul University, Waghodia, Vadodara, India.

Dr. B Suresh Lal, Professor, Department of Economics, Kakatiya University, Warangal, Telangana State, India.

Research Culture Society and Publication

(Reg. International ISBN Books and ISSN Journals Publisher)

Email: RCSPBOOKS@gmail.com / editor@ijrcs.org

WWW.RESEARCHCULTURESOCIETY.ORG / WWW.IJRCS.ORG

Conference, Seminar, Symposium organization in association/collaboration with different Institutions.

Conference, Seminar, Symposium Publication with ISSN Journals and ISBN Books (Print / Online).



RESEARCH CULTURE SOCIETY & PUBLICATION
International Book and Journals Publisher
With ISBN and ISSN approval
We publish all subject books in all Categories

Book Publication (Print & Online) with ISBN or ISSN
Fiction, Non-Fiction, Collection of Poem - Stories, Critical Theories, Science Fiction,
Biographies, Autobiography, Fantasy etc. (Visit our web for more details)
Thesis / Dissertation converted in to Book, Conference / Seminar Edited Book

Author Guidelines & Support : Quality Publication : Nominal Publication fee

Send Book Manuscript soft copy to :- RCSPBOOKS@gmail.com
OR
Submit online on :- <https://ijrcs.org/book-publication/>

  +91 9033767725 www.ijrcs.org



CALL FOR PAPERS

International
ISSN Journals and
ISBN Books Publisher

Research Culture Society Journals
IJIRMF, IJRCS, JSHE, IJEDI, Shikshan Sanshodhan

Research Study Fields

Research Publication in all subjects / topics of the following study fields :
Science, Engineering, Healthcare Sciences,
Agriculture, Pharmacy, Medicine, Nursing
Commerce, Management, Social Sciences,
Law, Humanities, Education, Life Skills

Free e-Certificates
Digital Object Identification
Nominal Processing Fee

<http://jshe.researchculturesociety.org/>
<http://shikshansanshodhan.researchculturesociety.org/>
<http://ijedi.researchculturesociety.org/>

Submit papers to
editor@ijrcs.org
Or
editor@ijirmf.com

WWW.IJRCS.ORG
WWW.IJIRMF.COM

International
Peer-Reviewed
Refereed
Indexed
ISSN Approved
High Impact Factor
Journals with
Quality Publication



TABLE OF CONTENTS

Sr.No	Contents	Page No.
1	About the organizing Institutions	3
2	About the Conference and Publication Objective of the International Conference	4
3	Message from Director, the Management Institute from Warsaw University of Life Sciences, Poland	5
4	Message from Director, RCS - ISRO	6
5	Conference Committee	7 - 8
6	Table of Contents	10
Paper No.	Title and Author	-
1	प्राचीन मिश्र (इजिप्ट) में कला का विकास एक अध्ययन -- रामु राम बांता	11-16
2	प्राचीन काल में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान -- रामु राम बांता	17-21
3	महिला सशक्तिकरण के सन्दर्भ में भिन्नता एवं लैगिंग भेदभाव का विश्लेषण -- सुनीता पंवार	22-26
4	राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की भूमिका -- डॉ. लवनीता सांखला	27-30
5	जोधपुर (राजस्थान) में हस्त शिल्प उद्योग में कार्मिक समस्याएँ एवं अभिप्रेरण -- डॉ. धीरज जैन	31-36
6	कॉर्पोरेट प्रशासन में उभरती प्रवृत्तियाँ : एक अध्ययन -- हरीश जनागल	37-41



प्राचीन मिस्र (इजिप्ट) में कला का विकास : एक अध्ययन

रामु राम बांता

सहायक आचार्य, इतिहास

राजकीय कन्या महाविद्यालय, तिंवरि मथानिया, जोधपुर (राज.)

E-Mail:- ramubanta@gmail.com

सारांश : मिस्र (इजिप्ट) के प्राचीन युग का इतिहास कलात्मक सृजनात्मकता और विराट उपलब्धियों का काल था। यह कहा जा सकता है कि विश्व सभ्यता के प्राचीन इतिहास में मिस्र (इजिप्ट) जैसी सर्वोत्कृष्ट शैली का विकास कहीं नहीं हुआ जिसमें राज्य के प्रवर्तकों, शिल्पियों और मजदूरों के आत्मविश्वास तथा दूरदर्शिता का अद्वितीय योगदान था। कला की शैली और चित्रलिपि का सहसम्बन्धित विकास अकारण ही नहीं हुआ था। इसके प्रारम्भिक चरण में एक सौन्दर्यमयी सरलता थी जिसने आगे चलकर अद्वितीय आकर्षक रूप ग्रहण किया। प्राचीन मिस्र (इजिप्ट) के जीवन में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका विद्यमान थी अतः कलात्मकता पर धर्म का सर्वातिशायी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, लेकिन धर्म ने दैनिक जीवन के रूपों को कला के क्षेत्र में प्रस्तुत करने से प्रतिबन्धित नहीं किया। धार्मिक विचारतंत्र के प्रभाव के कारण ही मिस्र की कला में परम्पराओं का दवाव सक्रिय था लेकिन नवीन साम्राज्य युग के कलाकारों ने रूढ़िवादी योजना को शिथिल करके अभिव्यक्ति की सापेक्षिक स्वतंत्रता का दामन पकड़ लिया था। यह विवेचन वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला में क्षेत्रों में सही प्रतीत होता है।

कुंजी शब्द : ममी, वास्तुकला, चित्रकला, मकबरों, राजवंश, पिरामिड, कैनोपिक जार, ताबीज।

1. प्रस्तावना :

नील की उपजाऊ जमीन ने मिस्र सभ्यता के उदभव और विकास में सहायता की। हेरोडोटस ने मिस्र (इजिप्ट) को "नील का उपहार" कहा था। हालांकि नील की सभ्यता मिस्र की पहली सभ्यता नहीं थी। मिस्र की सभ्यता के उदय के काफी पहले से बस्तियों और मनुष्यों के आवागमन के विवरण प्राप्त होते हैं। बदारियन कब्रें राजवंशों से पहले के मिस्र के इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत हैं। हेलेनिस्टिक (टॉलेमिक) काल, लगभग 323-31 बी सी ई, से पहले के मिस्र का इतिहास राजवंशों में विभाजित है, जबकि 5000-3150 बी सी ई का प्रागैतिहासिक काल मुख्यतः पूर्व-राजवंशीय काल कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं यह महान् सभ्यता नील नदी के किनारों पर विकसित हुई थी। नदी के तटवर्ती इलाके बस्तियों को भोजन के स्रोत, संसाधन और आर्थिक सम्पन्नता उपलब्ध कराते थे। फिरौन मेनेस के नेतृत्व में हासिल की गई ऊपरी और निचली घाटियों की एकता ने महान् सभ्यता के विकास का मार्ग प्रशस्त किया।

2. प्राचीन मिस्र (इजिप्ट) में कला का विकास:-

प्राचीन मिस्र (इजिप्ट) में कला के विकास का इस प्रकार अध्ययन किया जा सकता है - स्थापत्य और वास्तु कला, भवन निर्माण कला, मंदिर निर्माण कला, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीतकला, वस्त्रकला, सौंदर्य प्रसाधन कला, आभूषण कला, लेखन कला, मिट्टी के बर्तनों की कला और अंत्येष्टि कला।

स्थापत्य और वास्तु कला का विकास - मिस्र (इजिप्ट) कला के ऐतिहासिक विवरण में सर्वप्रथम वास्तुकला का उल्लेख समीचीन लगता है। मिस्र की वास्तुकला में राजनीतिक स्थायित्व, विजेता भाव, धार्मिक आस्था और लौकिक आवश्यकताओं का समवेत प्रभाव दिखलाई पड़ता है। उल्लेखनीय है कि मिस्र का वास्तुशिल्पी कार्यगत विशेषीकरण के बावजूद राजकीय अनुजीवी के रूप में अन्य कार्य भी करता था। परम्पराओं के संरक्षकों और व्याख्याताओं अर्थात् फराओ और पुरोहितों की इच्छाओं के अनुसार शिल्पी कार्य करते थे फिर भी मिस्र के

वास्तुकारों ने ठोस और इतने विशाल निर्माण कार्यों को सम्भव किया जैसा सभ्यता के इतिहास में पहले कहीं नहीं सम्भव हुआ था। इसके साथ ही सफलतापूर्वक उन कुशल कारीगरों ने सौन्दर्य भावना को प्रतिष्ठापित करने के लिए उपयोगी वस्तुओं की सौन्दर्ययुक्त बनाया।

लकड़ी के फर्नीचर पर अक्सर प्लास्टर की परत चढ़ाई जाती थी और रंगा जाता था। शाही फर्नीचर अधिक विस्तृत था, जिसमें जड़ाई, लिबास और मार्बेट्री का उपयोग किया जाता था। तूतनखामुन के मकबरे से अत्येष्टि वस्तुओं में टेबल, बक्से और संदूक, एक सोने का पानी चढ़ा हुआ सिंहासन, और लम्बी दरियाई घोड़े और मवेशियों के आकार के अनुष्ठान के बिस्तर शामिल हैं। हेटेफेरेस के दफ़नाने के उपकरण में यात्रा करने वाले फर्नीचर का एक सेट शामिल था, जो हल्का और खोलने में आसान था। इस तरह के फर्नीचर का इस्तेमाल सैन्य अभियानों और अन्य शाही यात्राओं में अवश्य किया जाता होगा मिस्र(इजिप्ट) के फर्नीचर ने ग्रीको-रोमन फर्नीचर के विकास को अत्यधिक प्रभावित किया है। यह साम्राज्य के रूप में जानी जाने वाली शैली की प्रेरणा के प्रमुख स्रोतों में से एक था। ताड़ और कमल के पत्ते, फूल, शेर के सिर और पंजे, बैल के खुर, पक्षी के सिर और ज्यामितीय संयोजन मुख्य रूप उपयोग किए गए हैं। सब कुछ शांत और एक स्मारक चरित्र के साथ है।

भवन निर्माण कला का विकास – प्रारम्भ में मिट्टी तथा सरकंडे की सहायता से आवास का निर्माण किया जाता था। इमारती लकड़ी एशिया के तटीय क्षेत्रों से मंगाई जाती थी। प्रारम्भिक भवनों का आकार-प्रकार प्रायः परिवार की सदस्य संख्या पर आधारित होता था। दीवारों पर छतें बनाने में लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। मकानों में कमरों के अतिरिक्त आंगन तथा सीढ़ियाँ बने होते थे। उच्चवर्गीय घरों से लगे रमणीक उद्यान बने होते थे और सामान्य जन के लिये सार्वजनिक उपवन होते थे लोगों को मनमोहक फूलों के पौधे लगाने का शौक था। प्राचीन राज्ययुग में भवन निर्माण हेतु पत्थरों का उपयोग होने लगा। यह पत्थर मोकलाम की पहाड़ियों में सूर से जलमार्ग द्वारा लाया जाता था अतः फराओ और उच्चवर्गीय लोगों से सम्बन्धित भवनों में ही प्रायः मोकलाम के पत्थरों का उपयोग हुआ।

प्रारम्भिक राजमहलों के बारे में प्रत्यक्ष प्रमाणों का अभाव है लेकिन समाधिभवनों के आधार पर मिस्र(इजिप्ट) की कला समीक्षकों ने उनकी रूपरेखा प्रस्तुत की है। प्रमुख नगरों को चारदीवारी से सुरक्षित करते थे और प्राचीन मिस्र के वास्तुशिल्पी गढ़नुमा राजभवन बनाते थे जिनका गुम्बद द्वार आकर्षक होता था। एमनहोतेपण और उसके पुत्र इख्राटन के भव्य राजभवन अल्लेखनीय रहे हैं। राजवंश युग के प्रारम्भ होने पर समाधि-भवनों का निर्माण प्रारम्भ हो गया था। चौथे राजवंश से इनके निर्माण में पत्थरों का इस्तेमाल होने लगा था। मस्तवा का अर्थ है-घर के बाहर बैठने का स्थान। इस समाधि-भवन में एक से अधिक कमरे होते थे और इन्हें आयताकार योजना में निर्मित किया जाता था। नवीन साम्राज्य युग के वास्तुशिल्प में एक प्रभावशाली अध्याय जुड़ा था। समाधि भवनों पर अन्य भवनों की तरह अलंकरण भी किया गया था इन का चरम विकास पिरामिडों के रूप में हुआ था।

मंदिर निर्माण कला का विकास – प्राचीन मिस्र(इजिप्ट) में वैसे तो प्राचीन राज्ययुग से ही मंदिर निर्माण का प्रारम्भ हो चुका था लेकिन थुत्मोस ने जब दृश्यमान अधिरचना के बगैर समाधि बनवाने का फैसला किया तो उससे मंदिरों के निर्माण की स्वतंत्र परम्परा पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। यही कारण है कि नवीन साम्राज्य युग में मंदिरवास्तु का चरमोत्कर्ष हुआ था। कारनाक, लक्सर एवं अन्य मंदिरों तथा भवनों के निर्माण में मिस्र(इजिप्ट) के कलाकारों ने स्तम्भ योजना और अलंकृत स्तम्भशीर्षों के निर्माण में विशेष दक्षता का उदाहरण प्रस्तुत किया था। उल्लेखनीय है कि वास्तुकला के क्षेत्र में विश्वइतिहास में पहली बार मिस्र(इजिप्ट) ने ही स्तम्भों का निर्माण किया था जिसका व्यापक प्रभाव पाश्चात्य वास्तुशिल्प पर पड़ा था। मिस्र वासियों के लिये स्थायित्व का विशेष महत्व था अतः मंदिरों और उनमें स्थापित मूर्तियों के निर्माण में भी इस दृष्टि का प्रभाव विशेष रूप से पड़ा था। ये दर्पयुक्त मूर्तियाँ शाश्वतभाव को अभिव्यक्त करती हैं। प्रसिद्ध मंदिरों में हदशेपसुत का अलबाहरी का मंदिर, थिविस स्थित बुमोस का मंदिर, मेदिनेतहाबू स्थित रैमिसिस तृतीय का मंदिर, लक्सर और कारनाक के एमनरी के मंदिर, अबू शिम्बेल का शिलामंदिर तथा अल-अमना का इखमतन द्वारा निर्मित एटन का मंदिर-विशेष प्रसिद्ध हैं। मंदिरों की रंगीन मूर्तियाँ और दीवारें अलंकृत थीं जिन पर आनुष्ठानिक तथा दैवी दृश्य चित्रित थे। इख्राटन के धार्मिक विप्लव का प्रभाव कलात्मक यथार्थवाद पर पड़ा था और वास्तव में नवीन साम्राज्य युग के जीवन के अन्य पक्षों की तरह, निर्माण कार्य भी इससे प्रभावित हुये थे।

चित्र कला का विकास : मिस्र(इजिप्ट) की सभी नक्काशियों को चित्रित नहीं किया गया था, और मकबरों, मंदिरों और महलों में कम-प्रतिष्ठित कार्यों को केवल एक सपाट सतह पर चित्रित किया गया था। पत्थर की सतहों को सफेदी द्वारा तैयार किया गया था, या यदि खुरदरा हो, तो मोटे मिट्टी के प्लास्टर की एक परत, जिसके ऊपर एक चिकनी परत होती है; कुछ महीन चूना पत्थर सीधे रंग ले सकते थे। पिगमेंट ज्यादातर खनिज थे, जो बिना लुप्त होती तेज धूप का सामना करने के लिए चुने गए थे। यह स्पष्ट है कि गीले प्लास्टर की एक पतली परत में चित्रित सच्चे फ्रेस्को का उपयोग नहीं किया गया था। इसके बजाय, पेंट को सूखे प्लास्टर पर लगाया गया था, जिसे इतालवी में फ्रेस्को ए सेको कहा जाता है। पेंटिंग के बाद, एक वार्निश या राल आमतौर पर एक सुरक्षात्मक कोटिंग के रूप में लगाया जाता था, और तत्वों के कुछ जोखिम वाले कई पेंटिंग उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से बच गए हैं, हालांकि पूरी तरह से उजागर दीवारों पर शायद ही कभी होते हैं।

मूर्ति कला का विकास : प्राचीन मिस्र(इजिप्ट) के मंदिरों और मकबरों की स्मारकीय मूर्तिकला सर्वविदित है, लेकिन परिष्कृत और नाजुक छोटे काम बहुत अधिक संख्या में मौजूद हैं। मिस्र के लोगों ने सनक रिलीफ की तकनीक का इस्तेमाल किया, जो छाया द्वारा रेखांकित की जाने वाली रूपरेखा और रूपों के लिए सूर्य के प्रकाश में सबसे अच्छा देखा जाता है। एक पैर को दूसरे पैर के साथ आगे की ओर खड़ी मूर्तियों की विशिष्ट मुद्रा टुकड़े के संतुलन और शक्ति के लिए सहायक थी। इस विलक्षण मुद्रा का उपयोग मिस्र(इजिप्ट) की कला के इतिहास में और टॉलेमिक काल में अच्छी तरह से किया गया था, हालांकि बैठी हुई मूर्तियाँ भी आम थीं। मिस्र के फिरौन को हमेशा देवताओं के रूप में माना जाता था, लेकिन बड़ी मूर्तियों में अन्य देवता बहुत कम पाए जाते हैं, सिवाय इसके कि जब वे फिरौन को एक अन्य देवता के रूप में दर्शाते हैं हालांकि अन्य चित्रों में देवताओं को अक्सर राहत में दिखाया जाता है। अबू सिंबल में मुख्य मंदिर के बाहर चार विशाल विशिष्ट मूर्तियों की प्रसिद्धि को असाधारण दर्शाती है। अधिकांश बड़ी मूर्तियाँ मिस्र(इजिप्ट) के मंदिरों या मकबरों से ही बची हैं, देवताओं और फिरौन और उनकी रानियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशाल मूर्तियों का निर्माण आमतौर पर मंदिरों में या बाहर खुले क्षेत्रों के लिए किया गया था। बहुत प्रारंभिक विशाल गीज़ा के महान स्फिंक्स को कभी दोहराया नहीं गया था। एक मंदिर में एक भगवान की सबसे पवित्र पंथ छवि, आमतौर पर नाओस में आयोजित की जाती है, जो अपेक्षाकृत छोटी नाव या बार्क के रूप में होती है, जिसमें भगवान की छवि होती है और जाहिर तौर पर आमतौर पर कीमती धातु में होती है राजवंश IV (2680-2565 ईसा पूर्व) तक का मूर्ति का विचार मजबूती से स्थापित हो गया था। प्रारंभिक मकबरों में दासों, जानवरों, इमारतों और वस्तुओं जैसे नावों के छोटे मॉडल भी शामिल थे, जो मृतक के बाद के जीवन में अपनी जीवन शैली को जारी रखने के लिए आवश्यक थे। हालांकि, लकड़ी की मूर्तियों का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया है, या शायद ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। देवताओं की छोटी आकृतियाँ, या उनके पशु अवतार, बहुत आम हैं, और मिट्टी के बर्तनों जैसी लोकप्रिय सामग्रियों में पाए जाते हैं। देवताओं की आकृतियों से लेकर खिलौनों और नक्काशीदार बर्तनों तक बड़ी संख्या में छोटी नक्काशीदार वस्तुएँ भी थीं। अलबास्टर का उपयोग इनके महंगे संस्करणों के लिए किया गया था, हालांकि चित्रित लकड़ी सबसे आम सामग्री थी, और जानवरों के छोटे मॉडल, दासों और कब्रों में रखी गई संपत्ति के लिए सामान्य थी, जो बाद के जीवन के लिए प्रदान करती थी।

मूर्तियों को गढ़ते समय बहुत सख्त परंपराओं का पालन किया जाता था, और विशिष्ट नियमों ने मिस्र(इजिप्ट) के प्रत्येक देवता की उपस्थिति को नियंत्रित किया। उदाहरण के लिए, आकाश देवता (होरस) को बाज़ के सिर के साथ दिखाया जाना था, अंत्येष्टि संस्कार के देवता (अनुबिस) को सियार के सिर के साथ दिखाया जाना था। प्राचीन मिस्र(इजिप्ट) की मूर्तिकला में एक आम बात पुरुषों और महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बीच का अंतर था। महिलाओं को अक्सर एक आदर्शवादी युवा और सुंदर रूप में प्रस्तुत किया जाता था और शायद ही कभी एक पुरानी परिपक्वता में दिखाया जाता था। पुरुषों को या तो एक आदर्शवादी तरीके से या अधिक यथार्थवादी चित्रण में दिखाया गया था। पुरुषों की मूर्तियाँ अक्सर पुरुषों को वृद्ध दिखाती हैं चूंकि उम्र बढ़ने का पुनर्जन्म उनके लिए एक सकारात्मक बात थी जबकि महिलाओं को हमेशा युवा के रूप में दिखाया जाता है।

संगीत कला का विकास : अधार्मिक समारोहों में और धार्मिक अवसरों पर संगीत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। संगीतकार, कास्टनेट और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र बजाते हुए, पूर्व-राजवंश काल की वस्तुओं पर चित्रित किए गए हैं। तालवाद्य, वायु और तार वाद्य यंत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला प्राचीन मिस्र के लिए जानी जाती थी। इनमें झुनझुने, ताली बजाने वाले, ढोल, डफ और सिस्ट्रम शामिल हैं; पाइप, बांसुरी और तुरही; और वीणा (विशेष रूप से दावतों में लोकप्रिय)। वीणा और वीणा को लेवांत से पेश किया गया था। प्रारंभिक टॉलेमिक काल तक संगीत संकेतन को

प्रमाणित नहीं किया गया है। संगीतकारों के समूह, या तो मिश्रित लिंग या केवल महिला, पुराने साम्राज्य से जाने जाते हैं। महिला गायकों और सिस्टम-वादकों की मंदिर संप्रदायों में विशेष रूप से हाथोर और आइसिस की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सभी अवधियों से मकबरे की सजावट इंगित करती है कि श्रमिकों के समूह एकजुटता की भावना पैदा करने और अपने उत्साह को बनाए रखने के लिए आज की तरह गाते थे।

वस्त्र कला का विकास : प्राचीन मिस्र(इजिप्ट) के फैशन के साक्ष्य के मुख्य स्रोत जीवित कपड़ों द्वारा पूरक कलात्मक प्रतिनिधित्व हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि प्रतिनिधित्व उनके वास्तविक स्वरूप को सही ढंग से दर्ज करने की तुलना में दर्शाए गए व्यक्ति की कुछ विशेषताओं को उजागर करने के लिए अधिक चिंतित थे। उदाहरण के लिए, पुरुषों के लिए बनाई गई कला में, महिलाओं को अक्सर प्रतिबंधित, तंग-फिटिंग कपड़े के साथ दिखाया जाता था, शायद उनके अंगों पर जोर देने के लिए। मिस्र(इजिप्ट) में ज्यादातर समाजों में फैशन समय के साथ बदल गया, वर्ष के विभिन्न मौसमों में और समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा अलग-अलग कपड़े पहने जाते थे। विशेष कार्यालय-धारकों, विशेष रूप से पुजारियों और राजा के पास अपने विशेष वस्त्र होते थे। सामान्य आबादी के लिए, कपड़े साधारण होते थे। मुख्य रूप से लिनन के होते थे और शायद सफेद या ऑफ-व्हाइट रंग के होते थे। यह पेशेवर लॉन्डर्स को दीर एल-मदीना में नवीन साम्राज्य युग के कामगारों के गांव से जुड़ा हुआ माना जाता है। पुरुषों ने एक साधारण लंगोटी या छोटा लहंगा (शैंडिट के रूप में जाना जाता है) पहना होगा जो सर्दियों में एक भारी अंगरखा द्वारा पूरक होता है। उच्च दर्जे के व्यक्ति अपने कपड़ों के माध्यम से अपनी स्थिति व्यक्त कर सकते थे, और फैशन में बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील थे। लंबे समय तक अधिक विशाल कपड़ों ने मध्य साम्राज्य में उपस्थिति दर्ज कराई पुरुषों और महिलाओं के लिए बहने वाले विस्तृत रूप से प्लीटेड डायफेनस रोब विशेष रूप से 18 वीं राजवंश के अंत और रामेसाइड काल में लोकप्रिय थे। नवीन साम्राज्य युग में सजाए गए वस्त्र भी अधिक सामान्य हो गए। सभी कालों में महिलाओं के कपड़े शीर्ष पर पहने जाने वाले रंगीन मनके जाल से बढ़ सकते थे। रोमन काल में, मिस्र(इजिप्ट) बढ़िया कपड़ों के निर्माण के लिए जाना जाने लगा। कुंडलित सिले हुए सैंडल या चमड़े के सैंडल सबसे अधिक प्रमाणित प्रकार के जूते हैं। इसके उदाहरण, लिनन शर्ट और अन्य कपड़ों के साथ, तूतनखामुन के मकबरे में खोजे गए थे।

सौंदर्य प्रसाधन कला का विकास :- मेकअप का उपयोग, विशेष रूप से आंखों के आसपास, प्राचीन मिस्र(इजिप्ट) की प्राचीन संस्कृति की एक विशिष्ट विशेषता थी। आंखों की सुरक्षा के लिए और साथ ही सौंदर्य संबंधी कारणों से काली काजल (आई-पेंट) लगाई जाती थी। यह आमतौर पर गैलेना से बना होता था, जो चांदी-काला रंग देता था; पुराने साम्राज्य के दौरान, मैलाकाइट से बने हरे रंग की आंखों के रंग का भी इस्तेमाल किया जाता था। मिस्र(इजिप्ट) की महिलाओं ने अपने होठों और गालों को लाल गेरू से बने लाल रंग से रंगा। मेंहदी को बालों, नाखूनों और पैरों के नाखूनों और शायद निपल्स के लिए डाई के रूप में भी लगाया जाता था। त्वचा को कंडीशन करने के लिए क्रीम और मलहम लोकप्रिय थे और विभिन्न पौधों के अर्क से बनाए गए थे।

आभूषण कला का विकास :- प्राचीन मिस्र(इजिप्ट) के लोगों ने पूर्व-राजवंश काल से ही आभूषण और व्यक्तिगत सजावट के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया। बैडेरियन अंत्येष्टि में अक्सर चमकता हुआ सेलखड़ी, शंख और हाथी दांत से बने मोतियों के तार होते थे। सोने, चांदी, तांबे और फैयेंस के आभूषणों को प्रारंभिक पूर्व-राजवंशीय काल में भी प्रमाणित किया गया है। प्रथम राजवंश से पहले की शताब्दियों में अधिक विविध सामग्री पेश की गई थी। पुराने साम्राज्य द्वारा शाही गहनों के लिए कार्नेलियन, फ़िरोज़ा और लैपिस लाजुली का संयोजन स्थापित किया गया था और यह मध्य साम्राज्य में मानक बन गया था। कम परिष्कृत टुकड़े हड्डी मदर-ऑफ-पर्ल या कौड़ी के गोले का उपयोग कर सकते हैं। सामग्री की विशेष पसंद व्यावहारिक सौंदर्य और प्रतीकात्मक विचारों पर निर्भर करती है। कुछ प्रकार के गहने हमेशा लोकप्रिय रहे, जबकि अन्य फैशन में आते-जाते रहे। पहली श्रेणी में मोतियों के हार, कंगन, बाजूबंद और कमरबंद थे। बीड एप्रन को पहली बार प्रथम राजवंश में प्रमाणित किया गया था, जबकि उपयोगख ब्रॉड कॉलर शुरुआती पुराने साम्राज्य से एक मानक प्रकार बन गया था। मध्य साम्राज्य में वे अंगूठियों और कान के आभूषणों (अंगूठियों और प्लग) द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के पक्ष से गिर गए थे। नवीन साम्राज्य युग के गहने आम तौर पर पहले की अवधि की तुलना में अधिक विस्तृत और भड़कीले होते हैं और प्राचीन ग्रीस और रोमा की शैलियों से प्रभावित थे। तूतनखामुन के मकबरे में कई बेहतरीन उदाहरण पाए गए। शाही और निजी दोनों तरह के आभूषण धार्मिक प्रतीकों से भरे हुए थे। इसका उपयोग पहनने वाले के धन और पद को प्रदर्शित करने के लिए भी किया जाता था। शाही गहने हमेशा सबसे विस्तृत होते थे जैसा कि 18वें राजवंश की



राजकुमारियों के लिए बनाए गए दहशूर और लाहुन में पाए गए टुकड़ों से मिलता है। इष्ट दरबारियों को शाही पक्ष के संकेत के रूप में "स्वर्ण के सम्मान" से पुरस्कृत किया गया था। गहनों की तकनीक- जीवित कलाकृतियों और मकबरे की सजावट से निर्माण का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। मेरेरुका के मकबरे में एक जौहरी की कार्यशाला दिखाई गई है। थेब्स में नवीन साम्राज्य युग के कई मकबरों में इसी तरह के दृश्य हैं

लेखन कला का विकास : मिस्र(इजिप्ट) का लेखन एक उल्लेखनीय रूढ़िवादी प्रणाली बना रहा, और एक छोटे से साक्षर अल्पसंख्यक का संरक्षण रहा, जबकि बोली जाने वाली भाषा में काफी बदलाव आया। मिस्र(इजिप्ट) के शिलाओं को बारीक नक्काशीदार चित्रलिपि से सजाया गया है। चित्रलिपि लेखन का उपयोग 32 वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभिक कांस्य युग में प्रोटो-साक्षर प्रतीक प्रणालियों से उत्पन्न हुआ, जिसमें मिस्र(इजिप्ट) की भाषा में लिखा गया पहला गूढ़ वाक्य था। दूसरा राजवंश (28वीं शताब्दी ईसा पूर्व)। मिस्र(इजिप्ट) की चित्रलिपि एक परिपक्व लेखन प्रणाली के रूप में विकसित हुई जिसका उपयोग मध्य साम्राज्य काल की शास्त्रीय भाषा में स्मारकीय शिलालेख के लिए किया गया। इस लेखन प्रणाली का उपयोग नवीन साम्राज्य युग और लेट पीरियड के माध्यम से और फ़ारसी और टॉलेमिक काल में जारी रहा। चित्रलिपि का देर से उपयोग रोमन काल में पाया जाता है, जो चौथी शताब्दी ईस्वी तक फैला हुआ था।

मिट्टी के बर्तनों की कला का विकास : मृतकों की कब्रों में विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन जमा किए गए थे। कुछ ऐसे मिट्टी के बर्तन शरीर के आंतरिक भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनेमल मिट्टी के बर्तनों में बड़ी संख्या में छोटी वस्तुएँ भी मृतकों के साथ जमा की गई थीं। यह लगभग 15 से 25 सेमी (6 से 10 इंच) लंबे मिट्टी के बर्तनों के शंकुओं के साथ मकबरे की दीवारों को तैयार करने के लिए प्रथागत था जिन पर कब्रों के मृत निवासियों से संबंधित किंवदंतियों को उत्कीर्ण या प्रभावित किया गया था। इन शंकुओं में आम तौर पर मृतक के नाम, उनके शीर्षक, कार्यालय जो उनके पास थे और अंतिम संस्कार के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त कुछ अभिव्यक्तियां शामिल थीं।

3. अंत्येष्टि कला का विकास :

ताबूत शवों के लिए जल्द से जल्द उद्देश्य से निर्मित अंत्येष्टि कंटेनर सरल आयताकार लकड़ी के बक्से थे जिन्हें प्रारंभिक राजवंश में प्रमाणित किया गया था। एक ताबूत तेजी से दफन उपकरण का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया। चौथे राजवंश में लंबे ताबूतों के विकास ने शरीर को पूरी तरह से विस्तारित करने की अनुमति दी। पुराने साम्राज्य के अंत में यह एक बार फिर प्रथागत हो गया कि शव को उसके बगल में रखा जाए।

कैनोपिक जार कैनोपिक जार वे बर्तन होते हैं जिनका उपयोग ममीकरण के दौरान हटाए गए आंतरिक अंगों को संग्रहित करने के लिए किया जाता था। इनका नाम मानव-सिर वाले जारों के नाम पर रखा गया था, जिन्हें प्राचीन कैनोपस के निवासियों द्वारा कनॉप्स (ग्रीक पौराणिक कथाओं में मेनेलॉस के सहायक) के अवतार के रूप में पूजा जाता था। प्रथम मध्यवर्ती अवधि के दौरान कैनोपिक जार के स्टॉपर्स को मानव सिर के रूप में तैयार किया जाने लगा। 18 वीं राजवंश के अंत से वे आमतौर पर रक्षा करने वाले जिन्न (बबून, सियार, बाज़ और मानव) के प्रमुखों के समान थे। यह 19वें राजवंश में छत्र उपकरण के लिए मानक बन गया। तीसरी मध्यवर्ती अवधि में, ममीकृत अंगों को आम तौर पर शरीर में वापस कर दिया गया था लेकिन अमीरों के दफन में जार का एक डमी सेट शामिल किया जाता था। कैनोपिक जार का अंतिम ज्ञात शाही सेट अप्रीज़ से बना था। कैनोपिक उपकरणों का निर्माण टॉलेमिक काल में जारी रहा लेकिन रोमन काल में बंद हो गया

मुखौटों अंत्येष्टि मुखौटों का उपयोग हर समय किया गया है। उदाहरणों में तूतनखामुन और स्यूसेनेस के सोने के मुखौटे से लेकर हवारा और फ़यूम के रोमन "ममी पोटेट्स" शामिल हैं। चाहे अंत्येष्टि या धार्मिक संदर्भ में, मुखौटा का उद्देश्य एक ही था पहनने वाले को नश्वर से दिव्य अवस्था में बदलना।

उषाबती उषाबती (उर्फ शवबती या शबती) अंत्येष्टि मूर्तियाँ हैं। उनका उद्देश्य मृतक के लिए एक विकल्प के रूप में कार्य करना था जब उसे बाद के जीवन में कृषि कार्य या श्रम करने के लिए कहा गया था। कब्र के सामानों में शामिल सेवक मूर्तियों से मध्य साम्राज्य में उषाबती विकसित हुई। सबसे शुरुआती काल में मोम, मिट्टी या लकड़ी में बनी कच्ची मूर्तियाँ थीं, बाद में, उन्हें ममी के रूप में आकार दिया गया और 12 वीं राजवंश के अंत से उन्हें प्रथागत रूप से "उषाबती पाठ" (मृतकों की पुस्तक का अध्याय 6 जो उषाबती के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है) के साथ अंकित किया गया था।



ताबीज एक ताबीज अपने मालिक को जादुई सुरक्षा प्रदान करने के लिए या कुछ गुणों को व्यक्त करने के लिए पहना जाने वाला एक छोटा ताबीज है (उदाहरण के लिए, एक शेर का ताबीज शक्ति का संचार कर सकता है या एक सेट-स्क्रायर का ताबीज सीधापन व्यक्त कर सकता है)। बैडेरियन काल से प्रमाणित होने के बाद, जीवित और मृत दोनों के लिए ताबीज का उत्पादन किया गया था। ममी रैपिंग में खास जगहों पर खास ताबीज रखे जाते थे। बाद के जीवन में मृतक के दिल की रक्षा के लिए दिल का निशान ताबीज का एक विशेष रूप था। ताबीज विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से बनाए जाते थे, जिसमें फ़ाइनेस, कांच और कीमती पत्थर शामिल थे - जिसमें रंग और कई प्रकार के रूपों में अक्सर एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक भूमिका निभाते थे। वे पवित्र वस्तुओं को चित्रित कर सकते हैं (जैसे कि जेड स्तंभ, टायट करधनी या वेदजाद आंख) जानवर (बैल के सिर के ताबीज विशेष रूप से पूर्व-राजवंशीय काल में आम थे) या चित्रलिपि (उदाहरण के लिए, अंख या सा)। नवीन साम्राज्य युग से आगे घरेलू देवता जैसे कि विशेष रूप से बेस और तवेरेट देवता के लिए ताबीज लोकप्रिय विषय थे।

पिरामिड कला का विकास : एक पिरामिड के शीर्ष पर एक कैपस्टोन है। प्राचीन मिस्र(इजिप्ट) की भाषा में बेनबेनेट कहा जाता है, इसने पिरामिड को पवित्र बेनबेन पत्थर के साथ समग्र रूप से जोड़ा। सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित करने के लिए पिरामिडिया को सोने की पत्ती में ढका गया हो सकता है; मध्य साम्राज्य में, उन्हें अक्सर शाही उपाधियों और धार्मिक प्रतीकों के साथ अंकित किया जाता था चौथे राजवंश का शानदार पिरामिड अभी भी दुनिया के आश्चर्यों में से एक है। चेओप्स, चेफ़ेन और माइसेरिनस के पिरामिड आज भी स्थापत्यकला के प्रतीक माने जाते हैं। इस काल में कभीकभी रानियों को भी अपेक्षाकृत छोटे मकबरों में दफन किया जाता था। पिरामिड का नक्शा प्रायः पुरानी व्यवस्था की राजनितिक संरचना का चित्र प्रस्तुत करता है। चौथे राजवंश के पिरामिड का नक्शा इस प्रकार का था जैसे कि घर गलियों की ओर खुलते थे। ऐसा तर्क दिया जाता है कि मकबरे की विशालता और राजा के मकबरे से नजदीकी मकबरा और उस मकबरे में दफन किए गए व्यक्ति के राजनीतिक पदानुक्रम को प्रदर्शित करते हैं। इन मकबरों के साथ एक नाव भी संलग्न की गई थी ताकि राजा अपने मरणोत्तर जीवन की यात्रा जारी रख सके।

4. निष्कर्ष :

मिस्र(इजिप्ट) की कला के प्रारम्भिक चरण में एक सौन्दर्यमयी सरलता थी जिसने आगे चलकर अद्वितीय आकर्षक रूप ग्रहण किया। प्राचीन मिस्र(इजिप्ट) के दैनन्दिन जीवन कलात्मक रूपी पर धर्म का सर्वातिशायी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, लेकिन धर्म ने दैनिक जीवन के रूपों को कला के क्षेत्र में प्रस्तुत करने से प्रतिबन्धित नहीं किया। धार्मिक विचारतंत्र के प्रभाव के कारण ही मिल की कला में परम्पराओं का दवाव सक्रिय था लेकिन नवराज्ययुग के कलाकारों ने रूढ़िवादी योजना को शिथिल करके अभिव्यक्ति की सापेक्षिक स्वतंत्रता का दामन पकड़ लिया था। यह विवेचन वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला में क्षेत्रों में सही प्रतीत होता है। मिस्र(इजिप्ट) की कला की पृष्ठभूमि में सभ्यता के मर्मश पलाइण्डर्स पेटी के मतानुसार- “नागरिकों के चरित्र की भाँति किसी देश की कला भी उसकी भूमि की प्रकृति से सम्बन्धित होती है कलाकार के मस्तिष्क को समझने के लिये हमें उसके साहित्य में विवेचित, जीवन के आदर्शों के रूप में प्रतिष्ठि गुणों को देखना चाहिये।”

सन्दर्भ ग्रन्थ :

1. शॉ, इयान, और निकोलसन, पॉल - द डिक्शनरी ऑफ़ एंशिप्ट इजिप्ट, (लंदन: ब्रिटिश म्यूजियम प्रेस, (1995), पी. 109.
2. कैपबेल, प्राइस - प्राचीन मिश्र - पॉकेट संग्रहालय । टेम्स और हडसन (2018) पी. 31. ISBN 978-0-500-51984-4.
3. सायसे, ए.एच - इब्रियों और हेरोडोटोस का मिश्र (1895) पी. 17. ISBN 978-3-7347-3964-4.
4. विल्किंसन, टोबी - प्राचीन मिस्र वासियों का जीवन । टेम्स एंड हडसन लिमिटेड (2013) पी 96. ISBN 978-0-500-77162-4.
5. स्मिथ, विलियम - प्राचीन मिश्र की कला और वास्तुकला (द येल यूनिवर्सिटी प्रेस पेलिकन हिस्ट्री ऑफ़ आर्ट), येल यूनिवर्सिटी प्रेस येल (1999) पीपी 23-24.
6. रॉय, जेन - व्यापार की राजनीति: चौथी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में मिश्र और निचला नूबिया, ब्रिल(2011) ISBN 978-90-04-19610-0.
7. रॉबिन्स, गे- प्राचीन मिश्र की कला, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (2008) ISBN 978-0-674-03065-7.



प्राचीन काल में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान

रामु राम बांता

सहायक आचार्य, इतिहास

राजकीय कन्या महाविद्यालय, तिवरी मथानिया, जोधपुर (राज.)

E-Mail:- ramubanta@gmail.com

सारांश : भारत में महिलाओं की स्थिति समय समय पर परिवर्तित होती रही है स्वामी विवेकानन्द के कथनानुसार कोई राष्ट्र तब तक अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता जब तक कि उसका प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के विकास में भागीदार नहीं बनता। महिलाओं की स्थिति में समय समय पर परिवर्तन आते रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान से ही महिलाओं की स्थिति को लेकर कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हालांकि यह बात भी सच है कि अभी भी सिंधु घाटी से जुड़े साक्ष्य लिखित रूप में मौजूद नहीं हैं। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। पुरातत्व से जो सामग्री मिले हैं उसके आधार पर यह दावा किया जाता है कि उस दौरान महिलाओं को स्वतंत्रता थी और श्रृंगार को प्राथमिकता दी जाती थी। नारी को समाज और परिवार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। आदिकाल में आदिमानवों का समाज झुण्ड में रहता था। आदिमाता, सप्तमातृका, वनदेवी, प्रकृतिदेवी आदि की अवधारणा प्रारंभिक मातृ सत्तात्मक व्यवस्था की ही देन है। इसी काल में गार्गी और मैत्रेयी जैसे महिला बुद्धिजीवियों का भी नाम उल्लेख में सामने आता है। मौर्यकाल में महिलाओं की स्थिति उत्तर वैदिक काल के अपेक्षाकृत थोड़ी संतोषजनक रही। महात्मा बुद्ध द्वारा संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया जाना एक युगांतकारी घटना थी। प्राचीन काल में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता था।

कुंजी शब्द : काल, समाज, स्त्री, पुरुष, योगदान, सम्मान, सभ्यता, पुरातत्व।

1. प्रस्तावना :

प्राचीन काल में नारियों को समाज में उच्च स्तर प्राप्त था। उन्हें सुख समृद्धि, शान्ति, वैभव और ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। इसीलिए दुर्ग, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में उनकी पूजा करने का विधान रहा है। मनुस्मृति के अनुसार, “यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता” “यत्रेतास्तु न पूजयन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः” अर्थात् जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं और जहां इनकी पूजा नहीं होती वहां सभी कार्य निष्फल होते हैं। प्राचीन काल में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान माना जाता था।

सन् 1963 में वनस्थली में भाषण देते हुए पं. जवाहर लाल नेहरू ने भी इसी तथ्य को दोहराया था कि लड़के की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा है परन्तु एक लड़की की शिक्षा सम्पूर्ण परिवार की शिक्षा है। महिलाओं की स्थिति में समय समय पर परिवर्तन आते रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान से ही महिलाओं की स्थिति को लेकर कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हालांकि यह बात भी सच है कि अभी भी सिंधु घाटी से जुड़े साक्ष्य लिखित रूप में मौजूद नहीं हैं। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। पुरातत्व से जो सामग्री मिले हैं उसके आधार पर यह दावा किया जाता है कि उस दौरान महिलाओं को स्वतंत्रता थी और श्रृंगार को प्राथमिकता दी जाती थी। पुरातत्व में कई देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं जिससे कि इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस दौरान भी महिला देवी देवताओं की पूजा करते थीं और उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता थी।

प्राचीन काल में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान का इस प्रकार अध्ययन किया गया है – आदिकाल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्यकाल, उत्तर मौर्यकाल, स्मृति काल, रामायण काल, महाभारत काल, बौद्ध काल, धर्मशास्त्र काल तथा गुप्तकाल।

2. आदिकाल में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान:

आदिकाल में आदिमानवों का समाज झुण्ड में रहता था। इस झुण्ड में कुछ स्त्री पुरुष तथा बच्चे होते थे। वे फल फूल तथा शिकार कर अपना जीवन व्यतीत करते थे। बारिश तथा धूप से बचने के लिए गुफाओं में रहते थे। स्त्री पुरुष संबंध स्वच्छंद थे। धीरे धीरे इस व्यवस्था ने उस समय की जरूरत के हिसाब से आकार ग्रहण करना शुरू कर दिया। गर्भवती तथा प्रसूता स्त्रियाँ शिकार तथा भोजन एकत्र करने की अन्य गतिविधियों में पहले की तरह हिस्सा नहीं ले पाती थीं। शिशु के प्रति एक स्वाभाविक लगाव, उसकी देख-रेख आदि समस्या के समाधान स्वरूप स्त्रियाँ घर पर रहने लगीं। बाहर जाकर कंदमूल तथा शिकार की व्यवस्था करना पुरुषों का काम बन गया। इस अवस्था में सभी कार्य सामूहिक रूप से सम्पन्न होते थे। यह परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था।

अगले चरण में ज्ञान बढ़ा। मानव ने गुफा छोड़कर घर बनाना सीख लिया। घुमंतू एक जगह स्थिर होकर रहने लगे। बस्तियाँ बसने लगीं। उस समय वह सूर्य, चंद्रमा, तारे, वर्षा, धूप आदि को विस्मय की दृष्टि से देखते थे परंतु ईश्वर जैसी अवधारणा नहीं थी। इसलिए तब तक पुरुषों को भी ईश्वर का दर्जा नहीं था। गृह प्रबंधन में पूरी तरह स्त्रियों का योगदान था। पुरुष सैनिक की भांति अपने घर की रक्षा करते थे। आदिमाता, सप्तमातृका, वनदेवी प्रकृतिदेवी आदि की अवधारणा प्रारंभिक मातृ सत्तात्मक व्यवस्था की ही देन है। इस सामाजिक व्यवस्था ने स्त्री पुरुष दोनों के लिए जीवन पहले से अधिक सरल बना दिया। पुरुष शिकार के लिए नए-नए हथियार गढ़ने में रुचि लेने लगा जबकि स्त्रियाँ गृह प्रबंधन को सुचारू रूप से चलाने में व्यस्त हो गईं।

सभ्य होते होते मनुष्य में महत्वाकांक्षा के साथ साथ प्रतिस्पर्धा की भावना भी बढ़ने लगी। खेती ने दोनों के जीवन को स्थिरता दी। खानाबदोश जीवन का अंत हुआ और कृषि संपत्ति और उस पर अधिकार की भावना विकसित हुई। विवाह संस्था ने जन्म लिया और उपार्जन एवं संपत्ति के आधार पर पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था का जन्म हुआ। जीवन का उद्देश्य मात्र भोजन एकत्र कर जीवन यापन करना नहीं रह गया बल्कि संपत्ति और उस पर अधिकार स्थापित करने की भावना प्रबल होती चली गई। कबीले एक दूसरे पर हमला करने लगे। पराजित कबीले की संपत्ति के साथ साथ कबीले की स्त्रियों पर भी कब्जा करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी।

गर्भवती स्त्री की सुरक्षा और सार-संभाल एक बार फिर पुरुषों की जिम्मेवारी बन गई। उसी दौरान एक नए नियम ने जन्म लिया जिसके अनुसार स्त्री उसी व्यक्ति से संबंध बनाये जिससे गर्भस्थ शिशु के पिता का निर्धारण किया जा सके। वही व्यक्ति उस स्त्री तथा गर्भस्थ शिशु की देखभाल के लिए जिम्मेवार होगा तथा वही शिशु उस व्यक्ति के संपत्ति का उत्तराधिकारी भी होगा। इस नियम को पालन करवाने के लिए अनेक उपनियम भी बनाए गए। इस नियम के पश्चात स्त्रियों की दुनिया चारदीवारी में कैद होती चली गई। सामाजिक गतिविधियों में उनकी भूमिका नगण्य हो गई। उपार्जन के साधनों पर पूरी तरह पुरुषों का आधिपत्य हो गया। यही वह कालखंड है जब विवाह नामक संस्था ने जन्म लिया।

3. वैदिक काल में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान:

वैदिक काल में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति उच्च थी। महिलाओं को समाज और परिवार में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। नारी को अर्द्धांगिनी कहा जाता था। पति-पत्नी दोनों मिलकर यज्ञ करते थे। बिना नारी के धार्मिक कार्य अधूरा माना जाता था। ऋग्वेद में दम्पति (दम् + पति अर्थात् पत्नी + पति) शब्द का वर्णन है जिसमें पति से पूर्व पत्नी शब्द का प्रयोग किया गया है। वैदिक काल में कन्या अपनी इच्छा से विवाह कर सकती थी। महिलाओं में बाल विवाह, पर्दा प्रथा नहीं थी। वे घर से बाहर स्वच्छन्दतापूर्वक आ-जा सकती थीं। विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थीं। अथर्ववेद में वर्णन है कि, "नववधू तू जिस घर में जा रही है, वहां की तू साम्राज्ञी है। तेरे ससुर, सास, देवर व अन्य तुझे साम्राज्ञी समझते हुए तेरे शासन में आनन्दित हैं।" यजुर्वेद के अनुसार महिलाओं को संध्या करने तथा उपनयन संस्कार के अधिकार प्राप्त थे। पी. एन. प्रभु के शब्दों में, "जहा तक शिक्षा का सम्बन्ध था स्त्री-पुरुष में कोई विशेष भेद नहीं था और इस युग में दोनों का सामाजिक योगदान समान रूप से महत्त्वपूर्ण था।"

वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बेहतरीन हुआ करती थी। यह वही काल था जब ऋग्वेद को लिखा गया था। महिलाओं को समानता का अधिकार था। पुरुष वर्ग भी महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखता था। धार्मिक अनुष्ठानों में महिलाओं को बराबरी का दर्जा प्राप्त था। संपत्ति में महिलाओं को समान अधिकार था। शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं को बराबरी का हक प्राप्त था। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने, अपना भविष्य बनाने तथा शिक्षिका के रूप में काम करने का अधिकार प्राप्त था। ऋग्वेद में कई सारी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है जिसमें लोपामुद्रा,

घोषा, अपाला इत्यादि शामिल हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं में लगभग 414 ऋषियों के नाम मिलते हैं जिनमें से 30 नाम महिलाओं के हैं। स्त्रियां वेद तथा युद्धकला दोनों में निपुण हुआ करती थीं।

हालांकि यह भी सत्य है कि वैदिक काल में समाज पुरुष प्रधान था। महत्वपूर्ण पदों पर पुरुष हुआ करते थे। अगर कन्या पिता की इकलौती संतान है तो वह उनके संपत्ति में अधिकार थी। उस दौरान भी स्त्रियों का विवाह व्षक होने के बाद ही होता था। बाल विवाह का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था। स्त्रियों में पुर्विवाह का प्रचलन भी था जो कि उस दौरान उनकी स्थिति को बेहतर बनाता है। वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली बहुत ही विकसित थी और मुख्य रूप से वेद पढ़ाया जाता था। प्राचीन भारतीय ग्रंथ समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके प्रभाव का लगातार वर्णन करते हैं। महाभारत में जहां द्रौपदी का प्रभावी चित्रण है तो वहीं वाल्मीकि की रामायण में सीता के प्रभाव को भी बेहतर तरीके से दर्शाया गया है। सीता स्वयंवर इस बात का भी गवाह है कि प्राचीन काल में महिलाओं को स्वयं से पति चुनने की भी अनुमति प्राप्त था। वैदिक काल की महिला दार्शनिकों और बुद्धिजीवियों के महत्व को भी हासिल करती थी।

4. उत्तर वैदिक काल में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान:—

उत्तर वैदिक काल कहीं ना कहीं यह वह काल था जब महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में योगदान में गिरावट देखने को मिलने लगी। इसी काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की लिखी गई थी। महिलाओं के सम्मान में कोई कमी तो नहीं आई लेकिन सामाजिक बुराइयां हावी होने लगी। यह वह कालखंड था जब समाज में बाल विवाह, बहु पत्नी प्रथा, वेश्यावृत्ति प्रथा, देवदासी, पर्दा प्रथा शामिल है। उत्तर वैदिक काल के ही आखिर में सती प्रथा का भी प्रचलन समाज में आ गया था। बड़े घरानों में एक पुरुष की कई पत्नियां होती थी जोकि धीरे धीरे छोटे घरानों के लिए आदर्श के रूप में काम करने लगा और यह प्रचलन समाज में बढ़ने लगा। इसी कालखंड के दौरान पैतृक संपत्ति में स्त्रियों के अधिकारों में कटौती होने लगी। इसी काल में गार्गी और मैत्रेयी जैसे महिला बुद्धिजीवियों का भी नाम उल्लेख में सामने आता है।

5. मौर्यकाल में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान:—

मौर्यकाल में महिलाओं की स्थिति उत्तर वैदिक काल के अपेक्षाकृत थोड़ी संतोषजनक रही। इस काल में महिलाओं को काफी हद तक स्वतंत्रता प्राप्त थी। इसके साथ ही उन्हें पुनर्विवाह और नियोग की भी अनुमति दी गई थी। हालांकि मौर्य काल में ही दहेज प्रथा का भी प्रचलन शुरू हुआ था। इस काल में स्त्रियां घरों में रहा करती थीं। इसके अलावा मौर्य काल में स्त्रियों को गुप्तचर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था और साथ ही साथ स्त्रियां सम्राट के अंगरक्षक का भी कार्य करती थीं। मौर्य काल में स्त्रियों को धार्मिक स्वतंत्रता तो थी ही साथ ही साथ उन्हें शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त था। मौर्य काल में महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में योगदान संतोषजनक था।

6. उत्तर मौर्यकाल में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान:—

उत्तर मौर्यकाल में भारत में कई आक्रांता आए। इस दौरान महिलाओं की स्थिति पर काफी असर पड़ा। उनकी आर्थिक, सामाजिक और व्यावहारिक स्थिति काफी खराब होने लगी। महिलाओं को पुरुष के दासी के रूप में रखा जाता था। पुरुष के आदेश के बाद ही उन्हें कोई काम करने की स्वतंत्रता थी। मुगल काल आते आते महिलाओं की दशा और खराब हो गई। उन्हें पर्दे और बंधनों में बंधकर जीना पड़ रहा था। भारत की स्वतंत्रता के बाद महिलाओं को संविधान में पुरुषों के बराबर ही अधिकार दिए गए हैं। परंतु आज भी वह समाज में काफी पीछे दिखाई देती हैं। सरकार की ओर से महिलाओं के उत्थान के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में योगदान के लिए कई कार्य किए। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और विज्ञान सहित कई अहम क्षेत्रों में महिलाओं ने अपना दबदबा दिखाया है।

7. स्मृति काल में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान:—

वेदों के बाद सर्वाधिक मान्यता स्मृतियों की है। स्मृति काल में स्मृतियों में सबसे प्रसिद्ध मनु स्मृति ग्रंथ है। जिसे तत्कालीन समय में सामाजिक आचार व्यवहार सम्बन्धी नियमावली या नैतिक मूल्य संहिता का दर्जा प्राप्त था। उदाहरण के लिए मनु स्मृति में महिला सम्मान को दर्शाने वाली उक्ती - जहां स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ

देवता का वास होता है, उल्लेखित है। इसके साथ ही महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में योगदान संतोषजनक था।

8. रामायण काल में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान:—

रामायण काल में रामायण वाल्मिकी रचित महाकाव्य है जिसमें राम कथा वर्णित है। उदाहरण स्वरूप हम रामायण काल को देख सकते हैं। भगवान राम ने जितने भी अनुष्ठान किए उसमें सीता जी को अपने साथ रखा। जब सीता जी उपस्थित नहीं थीं तब भी उनकी प्रतिमा का इस्तेमाल किया गया। इस प्रतिनिधि महाकाव्य के कुछ प्रसंगों से उस समय की स्त्रियों के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बारे में जाना जा सकता है-

1. युद्धकला में प्रवीण कैकयी युद्ध भूमि में अपने पति का साथ देते हुए उसकी सारथी का संचालन बनती हैं। इस प्रसंग से महिलाओं की मजबूत स्थिति सामने आती है।
2. पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने पुत्रकामेष्टि यज्ञ करवाया। इस प्रसंग से सहज रूप से व्यक्त होता है कि व्यवस्था पितृसत्तात्मक थी।
3. सीता के प्रसंग में नारी की पवित्रता अग्नि परीक्षा द्वारा प्रमाणित होती थी।

9. महाभारत काल में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान:—

महाभारत का काल द्वापर युग माना जाता है। जिसमें कृष्ण जैसे महानायक हुए हैं इसके साथ ही महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में योगदान संतोषजनक था। महाभारत की कथा में अनेक विदुषी राजनीतिक ज्ञान से परिपूर्ण स्त्री चरित्रों का वर्णन है। परंतु इसी काल में कुंवारी कन्या का मां बनना लज्जास्पद था। इसलिए कुन्ती ने पुत्र (कर्ण) जन्म के पश्चात उसे जल में प्रवाहित कर दिया। यहां प्रश्न उठता है कि यदि नियोग के उपरान्त भी स्त्री की पवित्रता बनी रहती है तो कर्ण को त्यागने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसी प्रकार द्रौपदी का पांच भाइयों में बंट जाना तथा युधिष्ठिर द्वारा जुए में द्रौपदी को हार जाना। इन दोनों प्रसंगों को स्त्री सम्मान के विरुद्ध कहा जा सकता है।

10. बौद्ध काल में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान:—

बौद्ध काल में भगवान बुद्ध ने संघ में जातिवाद या लिंग भेद को कोई स्थान नहीं दिया। उनकी दृष्टि में सभी लोग समान थे। महात्मा बुद्ध द्वारा संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया जाना एक युगांतकारी घटना थी। दीक्षा प्राप्त स्त्रियां थेरी कहलाती थीं। थेरी गाथाओं में 73 भिक्षुणियों की 522 गाथाओं का संग्रह है। इन थेरियों में नगरवधु आम्रपाली की कविताएं भी हैं। जिन स्त्रियों ने भिक्षुणी की दीक्षा ली, उनमें से अधिकांश उंची आध्यात्मिक पहुँच के लिए और नैतिक जीवन के लिए प्रसिद्ध हुईं। कुछ स्त्रियाँ पुरुषों की शिक्षिका तक बन गईं। इसके साथ ही महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में योगदान संतोषजनक था। इतना ही नहीं उन्होंने उस स्थिति को भी प्राप्त कर लिया था, जो कठिन साधना के उपरान्त ही प्राप्त होती है।

11. धर्मशास्त्र काल में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान:—

788 ईस्वी में जन्मे शंकराचार्य अद्वैत वेदान्त के ज्ञानी माने जाते हैं। उन दिनों शास्त्रार्थ की परंपरा थी। ऐतिहासिक विवरणों में शंकराचार्य और मण्डन मिश्र के शास्त्रार्थ का उल्लेख मिलता है। जिसमें मण्डन मिश्र पराजित हो गए। तब मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने कहा आपने अभी आधे अंग को ही पराजित किया है। मैं इनकी वामांगी हूँ। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें, तभी विजेता कहला सकेंगे। इसके बाद भारती ने कुछ प्रश्न शंकराचार्य से पूछे, जिसका उत्तर वह नहीं दे सके। इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक काल के धर्मशास्त्र काल में भी विदुषी स्त्रियों का योगदान रहा है। इसके साथ ही महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में योगदान संतोषजनक था।

12. गुप्तकाल में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान:—

गुप्तकाल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। उच्च वर्ग की महिलाएं शिक्षित थीं तथा सामाजिक समारोहों में हिस्सा लेती थीं। इसके साथ ही महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में योगदान संतोषजनक था। अंगरक्षक तथा गुप्तचर के रूप में नियुक्त होती थीं। मौर्यकाल में राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विषकन्या



के उपयोग का उदाहरण मिलता है। इस काल में वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। तथापि बौद्ध धर्म की महिलाओं की स्थिति अन्य की अपेक्षा बेहतर थी गुप्तकाल में भी कमोवेश यही स्थिति बनी रही। इस युग में देवदासी, नगरवधु बिना विवाह किए स्त्री को रक्षिता बनाकर रखने का प्रचलन बढ़ने लगा।

13. निष्कर्ष :

प्राचीन काल में नारियों को समाज में उच्च स्तर प्राप्त था। महिलाओं की स्थिति में समय समय पर परिवर्तन आते रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान से ही महिलाओं की स्थिति को लेकर कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वैदिक काल में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति उच्च थी। महिलाओं को समाज और परिवार में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। नारी को अर्द्धांगिनी कहा जाता था। पति-पत्नी दोनों मिलकर यज्ञ करते थे। यह वही काल था जब ऋग्वेद को लिखा गया था। महिलाओं को समानता का अधिकार था। पुरुष वर्ग भी महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखता था। धार्मिक अनुष्ठानों में महिलाओं को बराबरी का दर्जा प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल के ही आखिर में सती प्रथा का भी प्रचलन समाज में आ गया था। बड़े घरानों में एक पुरुष की कई पत्नियां होती थी जोकि धीरे धीरे छोटे घरानों के लिए आदर्श के रूप में काम करने लगा और यह प्रचलन समाज में बढ़ने लगा। इसी कालखंड के दौरान पैतृक संपत्ति में स्त्रियों के अधिकारों में कटौती होने लगी। इसी काल में गार्गी और मैत्रेयी जैसे महिला बुद्धिजीवियों का भी नाम उल्लेख में सामने आता है। उत्तर काल में ही महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में योगदान व धार्मिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया था। प्राचीन काल में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान माना जाता था।

सन्दर्भ ग्रन्थ :

1. सांकृत्यायन, राहुल : "वोल्गा से गंगा" (1943) किताब महल, दिल्ली.
2. डॉ. अम्बेडकर, बी.आर. : एनहिलेशन ऑफ कास्ट (1936) नई दिल्ली.
3. आहूजा, राम : भारतीय सामाजिक व्यवस्था (2005) रावत प्रकाशन, नई दिल्ली.
4. सिंह, जे.पी. : समाजशास्त्र-अवधारणाएं एवं सिद्धान्त (2011) पी.एच.एल लर्निंग प्रा.लि. नई दिल्ली.
5. वर्मा, सवालिया बिहारी : ग्रामीण महिलाओं की स्थिति, (2011)यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली.
6. मुखर्जी, मीनाक्षी : रियलिटी एण्ड रियलिज्म, इंडियन वुमन एज प्रोटेगनिस्ट्स इन फोर नाइंटीथ सेंचुरी नॉवेल्स, इकॉनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली (1884)



महिला सशक्तिकरण के सन्दर्भ में भिन्नता एवं लैंगिक भेदभाव का विश्लेषण

सुनीता पंवार

अतिथि व्याख्याता

लोक प्रशासन विभाग जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर (राज.) भारत

Email - sunitapanwarपाली786@gmail.com

शोध सार : "एक नारी को शिक्षित करने का अर्थ एक परिवार को शिक्षित करना है।" वर्तमान युग को वैचारिकता का युग कहा जा सकता है। अगर स्त्री या माता अथवा गृहिणी के संस्कार शिक्षा-दीक्षा आदि उत्तम नहीं होगी तो वह समाज और राष्ट्र को श्रेष्ठ सदस्य कैसे दे सकती है?, समाज के लिए स्त्री का स्वस्थ, खुशहाल, शिक्षित, समझदार, व्यवहार कुशल, बुद्धिमान होना जरूरी है और वह शिक्षा से ही सम्भव है। जब स्त्री की स्वयं की स्थिति सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक आदि दृष्टिकोणों से निम्न होगी तो वह परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे पायेगी, यह प्रश्न अत्यन्त चिन्तनीय है क्योंकि एक तो स्त्रियाँ स्वयं राष्ट्र की आधी से कम जनसंख्या है तथा दूसरा, बच्चे, युवा, प्रौढ़ और वृद्धजन उन पर अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए निर्भर रहते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक भेदभाव को दूर करना आवश्यक है। महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव घर में, घर के बाहर, विभिन्न व्यवसायों में कार्यस्थलों पर होता है जो उनके सशक्तिकरण को रोकता है। कार्यस्थल पर होने वाले लैंगिक भेदभाव को रोकने के लिए महिलाओं को शिक्षित होना होगा, रीति-रिवाज परम्परा के नाम पर होने वाले शोषण को रोकना होगा पुरुषों के साथ महिलाओं की सोच में बदलाव लाना होगा। शिक्षा, चिकित्सा, राजनीति एवं असंगठित मजदूरों पर किये गए इस शोध से निष्कर्ष निकला कि विभिन्न व्यवसायों में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए किये गए उपायों को कठोरता से लागू करना होगा।

कुंजी शब्द: संस्कार, खुशहाल, शिक्षित, समझदार, व्यवहार कुशल, समाज, भेदभाव ।

1. प्रस्तावना :

महिला सशक्तिकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से महिलाएँ स्वतंत्र निर्णय करने में सक्षम बनती हैं। उन्हें परम्पराओं एवं गुलामी की बेड़ियों से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। साथ ही उन्हें विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होते हैं। पुरुषों की प्रधानता समाप्त कर महिला-पुरुषों में समानता की भावना का विकास होता है। इससे लैंगिक भेदभाव समाप्त होकर महिलाओं को उचित सम्मान समाज में प्राप्त होगा। महिला सशक्तिकरण का अर्थ कतई ये नहीं है कि महिलाओं की महत्ता पुरुषों पर स्थापित हो। यूनेस्को के अनुसार महिला सशक्तिकरण हेतु उनमें निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए एवं इसके लिए उनकी पहुँच सूचना एवं संसाधनों तक होनी चाहिए। महिलाओं को सामुहिक निर्णय लेने में अग्रणी रहना, परिवर्तन करने की क्षमता का विकास करना, किसी की सामुहिक या व्यक्तिगत शक्ति में सुधार का कौशल सीखना, लोकतांत्रिक साधनों एवं प्राचीन धारणाओं को परिवर्तित करने की क्षमता का विकास करना, विकास प्रक्रिया में सकारात्मक भागेदारी निभाना और कलंक पर नियंत्रण कर स्वच्छ छवि का निर्माण करना आना चाहिए, तभी वे सशक्त कहलायेंगी।

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला सशक्तिकरण के अग्रकित पाँच घटक बताए गए हैं -

- महिलाओं में आत्म मूल्य की भावना,

- विकल्प चयन का अधिकार,

- अवसर एवं संसाधनों तक सुगमता से पहुँच,

- घर में एवं घर के बाहर स्वयं के जीवन पर नियंत्रण का अधिकार,

- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन

को प्रभावित करने की क्षमता।

1.1 महिला सशक्तिकरण का अर्थ : यह भी है कि महिलाओं द्वारा अपने जीवन को सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनीतिक दृष्टि से नियन्त्रित कर परिधि से केन्द्र में आना। महिलाओं द्वारा शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, अधिकारों के प्रति जागरूकता, गतिशीलता, राजनीतिक भागीदारी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे कारकों में स्वयं निर्णय लेना महिला सशक्तिकरण है।

लैंगिक भेदभाव दूर करने, महिलाओं को अधीनता से स्वतंत्रता की ओर ले जाने, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने, शक्ति संबन्ध को चुनौती देने, निर्णय क्षमता का विकास करने से ही महिला सशक्तिकरण संभव है। इसके लिए शिक्षा एवं नौकरी या व्यवसाय में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना आवश्यक है।
लैंगिक असमानता:- सेक्स जैविक तथ्य है जबकि जेंडर या लिंग सामाजिक एवं सांस्कृतिक तथ्य हैं।

1.2 लिंग दो प्रकार के होते हैं:- 1. पुल्लिंग एवं 2. स्त्रीलिंग।

लिंग शब्द का प्रयोग पुरुष या स्त्री के गुण एवं उनके व्यवहारों के संदर्भ में किया जाता है, जिससे उनकी सामाजिक पहचान की जा सके। महिला एवं पुरुष में अनेक असमानताएँ या भिन्न-भिन्न गुण जन्मजात होते हैं। अलग-अलग विशेषताओं के आधार पर इन्हें अलग-अलग कार्य एवं भूमिका प्रदान की गई है। कोई भी मनुष्य जन्म के समय यह नहीं जानता कि उसका व्यवहार, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, लेकिन जैसे-जैसे उसका सामाजिकरण होता है वह अपने व्यवहार, भाषा बोलने का तरीका आदि सीखने लगता है। विभिन्न समाजों में महिलाओं एवं पुरुषों की सामाजिक भूमिकाएं अलग-अलग निर्धारित की गई है। पितृसत्तात्मक एवं मातृसत्तात्मक समाज में इनकी स्थिति लगभग विपरीत पाई जाती है। जब लैंगिक आधार पर महिला एवं पुरुषों के मध्य असमान व्यवहार किया जाता है तो इसे लैंगिक असमानता कहते हैं। यह एक सामाजिक अवधारणा है। कार्यस्थल पर भी लैंगिक भेदभाव देखने को मिलता है। जिस कार्य में पुरुषों का वर्चस्व हो वहां पुरुषों को ही महत्व दिया जाता है। महिलाओं का वहाँ काम करना पुरुषों को पसंद नहीं आता है और वह ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे महिला स्वयं कार्य छोड़ कर चली जाए। पुरुष बहुल कार्य क्षेत्रों में पुरुषों के काम की सराहना की जाती है और महिलाओं के कार्यों को नजरअंदाज किया जाता है। असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति अधिक दयनीय है खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष सहकर्मियों एवं अधिकारियों द्वारा महिलाओं के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है, उन्हें अपशब्द बोलना, मारपीट करना, कम वेतन या मजदूरी देना, अधिक समय तक काम करवाना, समय पर मजदूरी ना देना, द्विअर्थी संवाद करना, यौन शोषण करना, अन्य सुविधाएं उपलब्ध न करवाना, ऐसे अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को उन्नति एवं विकास के अवसर अधिक प्रदान किए जाते हैं।

विभिन्न कार्यस्थल पर महिला एवं पुरुषों के लिए कार्य वितरण में भी असमानता बढ़ती जाती है। इसके लिए महिला पुरुष के जैविक अंतर का तर्क दिया जाता है। विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा अविकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में महिलाओं के साथ अधिक भेदभाव किया जाता है।

लैंगिक भेदभाव दूर करने, महिलाओं को अधीनता से स्वतंत्रता की ओर ले जाने, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने, शक्ति संबन्ध को चुनौती देने, निर्णय क्षमता का विकास करने से ही महिला सशक्तिकरण संभव है। इसके लिए शिक्षा एवं नौकरी या व्यवसाय में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना आवश्यक है।

महिला सशक्तिकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से महिलाएँ स्वतंत्र निर्णय करने में सक्षम बनती है। उन्हें परम्पराओं एवं गुलामी की बेड़ियों से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। साथ ही उन्हें विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होते हैं। पुरुषों की प्रधानता समाप्त कर महिला-पुरुषों में समानता की भावना का विकास होता है। इससे लैंगिक भेदभाव समाप्त होकर महिलाओं को उचित सम्मान समाज में प्राप्त होगा। महिला सशक्तिकरण का अर्थ कतई ये नहीं है कि महिलाओं की महत्ता पुरुषों पर स्थापित हो।

1.3 लैंगिक भेदभाव के कारण:- सम्पूर्ण भारत में सभी जगह महिलाओं के साथ भेदभाव होता आया है। महिलाओं के साथ हर स्थान पर हर स्तर पर भेदभाव देखने को मिल जाता है। यह भेदभाव घर में, समाज में, विद्यालय में, राजनीति में, नौकरी या व्यवसाय में और कार्यस्थल पर देखने को मिलता है। महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के प्रमुख कारण, महिलाओं में शिक्षा की कमी होना, आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर होना, संयुक्त परिवार, बाल विवाह, पुरुष प्रधान समाज की परम्परा एवं रीतिरिवाज जो महिलाओं को दोगुना दर्जा देते हैं आदि हैं।

1.4 लैंगिक भेदभाव के दूर करने के उपाय:- सम्पूर्ण भारत में मध्य काल से ही महिलाओं के साथ भेदभाव बढ़ता गया और उनकी दशा बद से बदतर हो गई। वर्तमान में बालिका शिक्षा एवं महिलाओं में जागरुकता आने से इनकी दशा में परिवर्तन होने लगा है। फिर भी अभी अनेक अथक प्रयास करने की आवश्यकता है। लैंगिक भेदभाव दूर करने हेतु महिला हो या पुरुष सभी मनुष्यों को अपनी सोच में सकारात्मक परिवर्तन करना आवश्यक है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना, महिलाओं हेतु प्रशिक्षण संस्थानों का विकास करना, पारम्परिक कार्य विभाजन के तरिके में परिवर्तन करना, सर्वैधानिक सुधारों को सख्ती से लागु करना, महिला रोजगार में वृद्धि करना एवं महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु अथक प्रयास करना भी आवश्यक है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना आवश्यक है।

2. संबंधित साहित्य का अवलोकन:-

करूणा, करूणा (2008) विकास एवं लैंगिक भेदभाव: हरियाणा का एक अनुभवात्मक अध्ययन यह शोध हरियाणा में विकास और लैंगिक असमानता के विभिन्न आयामों के अध्ययन पर आधारित है। राष्ट्रीय मानव विकास प्रतिवेदन 2001 के अनुसार जहाँ पंजाब और हरियाणा में उच्च आय स्तर उन्हें विकसित राज्य का दर्जा देती है परन्तु वहाँ बढ़ती लैंगिक असमानता भी एक बड़ी सच्चाई है। सम्पूर्ण देश में हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। इस शोध का उद्देश्य यही है कि हरियाणा के विकास को लैंगिक असमानता को दूर करने के रूप में किस प्रकार प्रयोग किया जाए ? साथ ही लैंगिक असमानता के उप-समूहों का लैंगिक असमानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे:- शिक्षा व कार्य का स्तर, सामाजिक समूह, आयु, वैवाहिक स्थिति, जीवन स्तर, और परिवार के सदस्यों की आय।

2.1 इस अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं:-

- हरियाणा पूरे देश में लैंगिक समानता सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर बना हुआ है। अर्थात वहाँ के आर्थिक विकास का लैंगिक असमानता को कम करने में कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।
- हरियाणा में लैंगिक असमानता की जड़े हमें वहाँ के सांस्कृतिक परिवेश में तलाश करनी चाहिए।
- यदि हरियाणा में लैंगिक समानता को स्थापित करना है। तो वहाँ आर्थिक बदलाव, जन भागीदारी में वृद्धि और सामाजिक आंदोलन को एक साथ आगे बढ़ाना होगा।

बी. एम. शर्मा (2005) महिला एवं शिक्षा इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में महिला सशक्तिकरण पर गांधीजी के विचारों पर प्रकाश डाला गया है। द्वितीय अध्याय में महिलाओं की स्थिति के अधार पर महिला सशक्तिकरण के विभिन्न कार्यक्रमों के महत्त्व का विश्लेषण किया गया है।

एक अन्य अध्याय में शोधकर्ता ने विद्यालय एवं उच्च शिक्षा स्तर से पलायन करने के कारणों पर चर्चा की है। यह पुस्तक भारत में महिलाओं के शिक्षा के स्तर को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करती है।

पांडे और एस्टोन (2001) ग्रामीण भारत में पुत्र प्राथमिकता: संरचनात्मक बनाम व्यक्तिगत कारणों कि स्वतंत्र भूमिका इस अध्ययन के अनुसार उच्च शिक्षा ही महिलाओं को लैंगिक असमानता से मुक्त करती है। एक शिक्षित पुत्री अपने परिवार को जो समर्थन व सुविधाएँ उपलब्ध करवा सकती है वह समर्थन दो पुत्र मिलकर भी नहीं दे सकते। गरीब माता-पिता असुरक्षा और आर्थिक दायित्वों के कारण पुत्रों को पसंद करते हैं। राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लिंग भेद को समाप्त करने का मुख्य साधन महिलाओं को शिक्षा और वित्तीय अधिकार देना है।

डूवरी. एन. और के. एल्लनडोर्फ (2001) भारत में घरेलू हिंसा, शिक्षा और रोजगार की भूमिका इस अध्ययन से ये तथ्य सामने आये हैं कि शिक्षित महिलाएँ ही अशिक्षित महिलाओं को उनके अधिकारों व विशेषाधिकारों से अवगत करवा सकती हैं। समुदाय स्तर की गतिविधियाँ एवं क्रेडिट आधारित समूहों में महिलाओं की भागीदारी उनकी शिक्षा पर निर्भर करती हैं। महिलाओं को सम्मान व समानता के साथ अन्य महिलाओं के साथ कार्य करने की आन्तरिक शक्ति एवं आत्मविश्वास शिक्षा से प्राप्त होता है।

गेराल्डिन फोब्रस (1908) के अनुसार 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में पुरुष सुधारकों द्वारा पारम्परिक मान्यताओं के विरुद्ध महिलाओं के उत्थान की भूमिका पर बल दिया गया है। सुधारकों का यह मानना था कि शिक्षा ही महिलाओं को सशक्त बना सकती है। शिक्षा ही महिलाओं को उनकी समस्याओं को समझने में सहायक सिद्ध होती है। लेखक के अनुसार शिक्षा ग्रामीण अशिक्षित महिलाओं की विभिन्न रोजमर्रा की समस्याओं को

समझने में भी सहायक सिद्ध होती है। उनके अनुसार भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन से पूर्व भी महिला आन्दोलनों का अस्तित्व था। आज भी समाज में उनकी नवीन भूमिका के परिप्रेक्ष्य में उन्हें सशक्त किया जाना चाहिए। उन्हें समाज में उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों से अवगत कराना चाहिए। निष्कर्षतः भारत की आजादी के बाद सर्वेधानिक प्रावधानों का महिलाओं को कोई लाभ नहीं पहुँचा है। अतः यदि वास्तव में महिला सशक्तिकरण को साकार करना है तो हमें महिला आंदोलनों को समेकित कर एक ठोस आधार देना होगा।

महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका शिक्षा जीवन के दरवाजे की कुंजी है जिसका लक्ष्य ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाना तथा अज्ञानता रूपी अंधेरे को दूर करना है। मकोल व अन्य के अनुसार "किसी भी समाज या राष्ट्र की प्रगति के लिए महिला शिक्षा को विशेष महत्व है। किसी भी शिक्षित समाज की वास्तविक स्थिति जानने का तरीका है कि हम यह जानने का प्रयास करें कि समाज में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति कैसी है, उनको क्या-क्या अधिकार प्राप्त हुए हैं और उनकी मूलभूत संसाधनों तक कितनी पहुंच है तथा राजनीतिक व सामाजिक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में उनकी कितनी सहभागिता है? देखा जाय तो महिलाओं की शिक्षा विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है जिसने महिलाओं का स्तर और उनकी समाज में भूमिका को उठाने में सहायता की है। शिक्षा किसी भी व्यक्ति के सुखद जीवन की मजबूत आधारशिला तैयार करती है। शिक्षा के द्वारा एक महिला असहाय व अबला से सशक्त और सबला बनती है।

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य है महिलाओं में छिपी हुई उन शक्तियों, गुणों तथा प्रतिभाओं को विकसित करना, जिनको व्यवहार में लाकर व अपने विकास की ओर स्वयं कदम बढ़ा सके यह कार्य केवल शिक्षा के द्वारा ही सम्भव है। विश्व विकास रिपोर्ट 1993-99 स्पष्ट करती है कि महिला शिक्षा आर्थिक विकास में सहायक होने के साथ ही प्रजननता को कम करके, बच्चों के उचित पालन पोषण तथा माता-पिता एवं बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य में सहायक होती है। सामान्य तौर पर शिक्षा आर्थिक आत्मनिर्भरता में सहायक होती है। इससे महिलाओं का सामाजिक स्तर ऊपर उठता है तथा उनका सशक्तिकरण होता है। आर्थिक स्वायत्तता से निर्भरता एवं पुरुष प्रधानता तथा वर्चस्व ध्वस्त होने से न सिर्फ महिला व्यक्तिगत स्तर पर लाभान्वित होगी अपितु सामाजिक स्तर पर ऐसे परिवर्तन घटित होंगे कि पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न होकर रह जायेगी और जगह एक नयी समाजवादी व्यवस्था उभर कर सामने आयेगी जिसमें महिला और पुरुष दोनों का समान महत्व होगा।

3. महिला सशक्तिकरण के सन्दर्भ में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व

अधिकांश कानून महिलाओं पर प्रभाव नहीं डालते हैं और अनेक कानूनों की नजर में महिलाएं दोगुना दर्जे की हैं। डेविस राइस मैन ने महिलाओं के सम्बंध में लिखा है कि हमारे कार्य की व्यवस्था ऐसी है कि महिलाएं जो सभी सामाजिक कार्य करती हैं। उनके समय की आर्थिक दृष्टि से कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई और ना ही उनके काम की समय सीमा भी निर्धारित नहीं की गई है। महिलाओं के द्वारा किये गये घरेलू कार्यों को श्रम में नहीं माना जाता है। दिन-भर घर का कार्य करके थक जाये किन्तु उन्हें थकावट प्रकट करने का अधिकार नहीं है निर्णय लेने के अभाव में कारण भी महिलाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता उनके निर्णय को कोई महत्व नहीं देते अशिक्षा व जागरूकता के अभाव के कारण भी वे अपने अधिकारों से वंचित रहती हैं।

महिलाओं में राजनीतिक ज्ञान का भी अभाव होता है। धन के अभाव के कारण भी महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होती और वे चुनावी दौड़ में पीछे छूट जाती हैं। विश्व के किसी भी देश में महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा नहीं मिला हुआ इससे उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है। यह भेदभाव मानवीय गरीमा के खिलाफ है जिससे देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन में महिलाओं की पुरुषों के बराबर समानता में बाधा आती है और देश के विकास में बाधा होती है। हालांकि सभी देशों की सरकारों ने महिलाओं के अधिकारों के लिए अनेक प्रकार के कानून बनाये हैं। और महिलाओं को कुछ विशेष अधिकारों से अवगत भी करवा रही है।

लोकतन्त्र को मजबूत करने के लिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व आवश्यक है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी जगह समान प्रतिनिधित्व नहीं है कहीं अधिक है तो कहीं कम है मुस्लिम देशों में देखो तो वहां राजनीति में महिलाएं सर्वोच्च स्तर पर हैं। इन मुस्लिम देशों में महिलाएं सक्रिय रूप से राजनीति में योगदान दे रही हैं। जैसे इंडोनेशिया की राष्ट्रपति भी एक महिला हैं। पाकिस्तान में भी बनेजीर भूटों दो बार प्रधानमंत्री के पद पर रह चुकी हैं। बांग्लादेश में भी शेख हसीना को प्रधानमंत्री बनाया गया महिलाएं संसदीय चुनावों को लेकर उत्साहित भी रही। इस प्रकार सभी स्थानों पर महिलाओं को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहना है।

4. निष्कर्ष :

महिलाओं की शिक्षा के प्रति उपेक्षा और भेदभाव को एक दिन में ही नहीं बदला जा सकता, लेकिन नागरिक समाज के सहयोग से सरकार की देशभर में शिक्षा स्तर को ऊँचा उठाने के लिए बड़ी सावधानी पूर्वक बनायी गयी योजनाओं से स्त्रियों का सशक्तिकरण अवश्य हो सकेगा। इसके लिए महिला शिक्षा में आ रही विभिन्न बाधाओं को दूर करना होगा। महिलाओं को शैक्षिक रूप से और मजबूत करना होगा। शिक्षा में लैंगिक भेदभाव को दूर करना चाहिए तथा बेटे और बेटों की शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। महिला शिक्षा के लिए स्कूलों की घर से भौगोलिक दूर का कम किया जाना चाहिए। जनता में महिला शिक्षा, के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्थानीय समाज सुधारकों तथा स्वयंसेवे संस्थाओं की प्रभावशाली भूमिका हो सकती है। इसलिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सरकार को महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक विकास कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया जाना चाहिए। आवासीय कन्या पाठशालाओं की अधिक से अधिक स्थापना की जानी चाहिए। सरकार को निर्धन पिछड़े तथा कमजोर वर्गों में बालिका शिक्षा के प्रति उत्साह जगाने के लिए आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में जहाँ महिलाएँ काम करती हैं बालगृहों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि लड़कियों को स्कूल छोड़कर अपने भाई बहनों की देखभाल के लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर घर पर न रुकना पड़े। समाज में महिलाओं का स्थान पुरुषों के समान ही महत्वपूर्ण है कि आज महिला अबला नारी के रूप में सुदृढ़ होकर पुरुष से कदम से कदम मिलाने को प्रयासरत है और उपर्युक्त अध्ययन से तो यही निष्कर्ष निकलता है कि जैसे- जैसे महिलाओं का शिक्षा की ओर रुझान बढ़ा है अर्थात् वे शिक्षित हुई हैं, वैसे-वैसे वे सभी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में भी सुदृढ़ हुई हैं तथा आत्मनिर्भर बनी हैं। अतः महिला और पुरुष दोनों रथ के पहियों के समान हैं। यदि एक निर्बल और घटिया हुआ तो समाज का रथ निर्विघ्न आगे नहीं बढ़ सकता है। स्पष्ट है कि शिक्षित नारी का उभरता हुआ कदम क्या होगा, समय ही बतायेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. देसाई व्लास्सोफ कारोल (1994) गरीबी से अमीरी की ओर: एक भारतीय गाँव में महिलाओं की स्थिति पर ग्रामीण विकास का प्रभाव, एल्सेवियर साइंस लिमिटेड, भाग -22, संख्या - 5,
2. ब्लूम (2001) एक उत्तर भारतीय नगर में महिलाओं की स्वायत्ता और मातृ स्वास्थ्य पर प्रभाव के आयाम, डेमोग्राफी, भाग-38, संख्या-1.
3. गैरी बेकर और अमृत्य सेन (1999) विकास स्वतंत्रता के रूप में, ओक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस, न्यूयार्क 1999, पृष्ठ संख्या, 189-194.
4. पांडे और एस्टोन (2001) ग्रामीण भारत में पुत्र प्राथमिकता: संरचनात्मक बनाम व्यक्तिगत कारकों कि स्वतंत्र भूमिका, जनसंख्या और विकास समीक्षा, भाग-11, संख्या-2
5. डूवरी, एन. और के. एल्लनडोर्फ (2001) भारत में घरेलू हिंसा: शिक्षा और रोजगार की भूमिका, छठे महिलाओं की
6. राजनीति षोध सभा, महिलाओं की स्थिति: भविष्य निर्माण के तथ्यों का आवरण, जून 8-9, 2001, वाशिंगटन डीसी.
7. सिंह, सीमा, "पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण" विद्या विहार, नई दिल्ली।
8. शर्मा, कृष्णदत्त एवं श्रीमती दाधीच, सुनिता (1997) "राजस्थान पंचायती कानून" पंचायतीराज जन चेतना संस्थान, जयपुर।
9. गुप्ता, कुमार कमलेश "महिला सशक्तिकरण, बुक एनक्लेव, जयपुर।
10. नागेन्द्र, शैलजा (2016) "वोमेन्स राइट्स ए डी वी पब्लिषर्स, जयपुर।
11. गौतम, हरेन्द्र राज (2006) "महिला अधिकार संरक्षण, कुरूक्षेत्र।



राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की भूमिका

डॉ. लवनीता सांखला

अतिथि संकाय, व्यापार वित्त और अर्थशास्त्र विभाग
वाणिज्य और प्रबंधन अध्ययन संकाय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.)
Email - tarotlovenita@gmail.com

सारांश : वर्तमान समय में राजस्थान के अंतर्गत शीर्षक शब्द शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाता है। शिक्षा विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है साथ ही यह भी दर्शाता है कि 21वीं सदी में महिलाओं का सशक्तिकरण देश के विकास एवं समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दुनिया की लगभग आधी आबादी का गठन महिलाओं द्वारा किया जाता है और शिक्षा प्राप्ति की पहुंच महिला अधिकारों के आंदोलनों की सबसे प्रमुख मांगों में से एक रही है। महिलाओं के लिए शिक्षा सरकार और नागरिक समाज के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की आवश्यकता हुई है क्योंकि शिक्षित महिलाएँ सामाजिक आर्थिक कारक में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। शिक्षा के माध्यम से महिलाएं ज्ञान की मात्रा में सुधारपूर्ण कार्य को करने के लिए गुणवत्ता को बढ़ाती हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर परिस्थितियों में स्वयं को सशक्त बनाती हैं, महिला सशक्तिकरण की शक्ति दिखाकर समाज को जागरूक करती हैं। यह बहुत अच्छा है कि अब परिस्थितियां समस्त महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए है। महिलाएं समस्या के समाधान की कुंजी हैं, जो स्वयं को सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर प्रमाणित कर रही हैं।

कुंजी शब्द - शिक्षा, सामाजिक आर्थिक कारक, विकास की भूमिका ।

1. प्रस्तावना :

शिक्षा मील के पत्थर के समान है क्योंकि यह उन्हें अपनी पारंपरिक भूमिका का सामना करने और अपने जीवन को बदलने के लिए चुनौतियों का जवाब देने में सक्षम बनाती है, यह तभी वास्तविकता बन सकती है जब इस देश की महिलाएं सशक्तिकरण बनेंगी शिक्षा एक महिला को शारीरिक और सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत बनने में सक्षम बनाती है।

अग्रवाल और साल्वे (2013) अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान जो अंततः उसके मानसिक स्वास्थ्य को लाभान्वित करेगा (2013), राजनीतिक कार्य एवं आर्थिक विकास में तथा सामाजिक कार्य, नर्सिंग देखभाल चिकित्सा जैसे प्रत्येक क्षेत्र में महिला पुरुषों की तुलना में बेहतर साबित हुई महिलाओं की शक्ति आर्थिक शैक्षिक परिवार आध्यात्मिक नैतिक और सौंदर्य के लिए महत्वपूर्ण है, विकास शिक्षा और साक्षरता महिलाओं को सशक्त बनाती है एक समाज या आर्थिक विकास और विकास की आकांक्षा सिर्फ शिक्षा के माध्यम से है लेकिन विशेष रूप से महिलाओं के नागरिकों के बीच शिक्षा एक बुनियादी आवश्यकता और किसी भी राष्ट्र के नागरिकों के लिए एक मौलिक अधिकार माना जाता है। शिक्षा असमानता को कम करने के लिए शक्तिशाली उपकरण है क्योंकि यह महिलाओं को सशक्त बनने की क्षमता दे सकती है ।

11. महिलाओं के सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका-

शिक्षा मनुमित- शिक्षा सहजता से जीवित रहने और शिक्षा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सोच-विचार, कल्पना शक्ति सिद्धांत का मानवीकरण करती है और शिक्षा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करती है।

महिलाओं को उनके विकास के लिए अवसर और स्वतंत्रता का दर्जा, जिसका अर्थ यह भी है कि महिलाओं को शिक्षा से स्वावलंबी एवं सशक्त करना महिलाओं को हर पहलू में आत्मनिर्भर बनाता है, वह न तो अपने पिता पति पर निर्भर करती है और न ही बेटे और न ही भाई पर। इसीलिए महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विकास के लिए शिक्षा की अहम भूमिका है।

1.2. बाधाओं से दूर रखने में सहायक-

शिक्षा बाधाओं से दूर रखती है शिक्षा सामाजिक रूप से राजनीतिक रूप से सांस्कृतिक लिंग धार्मिक तरीके से महिलाओं को समान अधिकार देती है वह पुरुषों के साथ समानता विकसित करेगी और यही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण दोनों को बढ़ावा देने का कारण है

1.3. निर्णय लेने में सहायक-

आधुनिक युग में महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागृत हुई हैं। देश में अनेक समाज सुधारो एवं कुछ साथी महिलाओं के नियोजन एवं संगठित प्रयासों के फलस्वरूप महिलाओं की दशा में कुछ सुधार संभव हो पाया है। महिलाओं की सशक्तता में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है,

शिक्षा निर्णय लेने की अनुमति देती है क्योंकि शिक्षा के रास्ते खुलते हैं अपनी पसंद के अनुसार निर्णय लेने के लिए चाहे वह जीवन शैली, जीवन साथी, नौकरी, करियर, खाने की शैली, कामुकता आदि से संबंधित हो, शिक्षा गलत और सही क्या है, यह सीखना सिखाती है शिक्षा स्वयं आत्मनिर्भर होने के लिए स्वतंत्र रूप से रहने के लिए जोर देती है

1.4 . शिक्षा उपार्जक-

शिक्षा जीवन के लिए परम आवश्यक है चाहे वह पुरुष हो या नारी। भारतीय समाज में नारी की स्थिति दयनीय रही है तथा महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर हम उन्हें विकास के अवसरों एवं उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। शिक्षा महिलाओं को अपराध के खिलाफ सुरक्षा के लिए तैयार करेगी सामाजिक शैतान यौन उत्पीड़न वैवाहिक बलात्कार और समाज का मानसिक तनाव आदि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ सशक्त बनाने से है।

1.5 .अर्थव्यवस्था में योगदान-

शिक्षित महिलाएं अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं यदि महिलाएं योग्य हैं और परिवार के लिए पैसा कमाने में सहायक हैं, तो वह परिवार की अर्थव्यवस्था की स्थिति को विकसित करने में सक्षम हैं और राष्ट्र के लिए भी महिलाएं अपने काम के माध्यम से मदद कर सकती हैं।

भारत की उच्च मातृ मृत्यु दर, लिंग हिंसा की उच्च दर और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराध, बाल यौन शोषण, कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याओं से छुटकारा पाएं, परिवार नियोजन और अन्य योजनाओं को लागू करें। शर्मा (2016)

1.6. शिक्षा का प्रोत्साहन-

शिक्षा महिलाओं की गुणवत्ता को बढ़ाती है समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त करते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण में सकारात्मक हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाने के लिए पूरी शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए सभी स्तरों पर व्यावसायिक तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच को व्यापक बनाना, लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ना।

यहां यह कहना उचित होगा कि एक आदमी शिक्षित होगा और आप एक व्यक्ति को एक महिला को शिक्षित करेंगे और महिला के शिक्षित होने से वह अपने पूरे परिवार को शिक्षित करेगी, हम यह कह सकते हैं कि शिक्षित महिलाएं अधिक पीढ़ियों को प्रशिक्षित करती हैं

1.7.समानता का अधिकार-

सरकार द्वारा संविधान के अंतर्गत नारी को शिक्षा प्राप्त करने नौकरी करने आदि के समान अधिकार और अवसर प्रदान किए हैं। महिलाओं के सुधारात्मक कार्य हेतु नारी निकेतन को खोला गया है।

आज की नारी डॉक्टर इंजीनियर लिपिक तथा अध्यापक के क्षेत्रों में कार्यरत है। पुलिस सुरक्षा विभाग आदि में उच्च पद स्थल पर हैं। सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का भी संचालन किया जा रहा है न सिर्फ सरकारी बल्कि गैर सरकारी संस्थानों द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं।

2. सुझाव :

- बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता आवश्यक है चाहे वह ग्रामीण हो या शहरी बालिकाओं की शिक्षा "शिक्षित माताएँ शिक्षित परिवार" के अनुसार महिलाओं पर आधारित लिंग भेदभाव के प्रति व्यवस्था को बदलें
- लैंगिक असमानता को दूर करना

- महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना
- यह संदेश फैलाना कि शिक्षा महिलाओं को एक अविश्वसनीय देश बनाने के लिए मजबूत महिलाओं का निर्माण करना है
- जागरूकता के लिए यह जानना आवश्यक है कि महिलाएं प्रभावी रूप से राष्ट्र का आर्थिक विकास कर रही हैं शिक्षा महिलाओं और महिलाओं की गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है
- ज्ञान की मात्रा में वृद्धि जो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होती है
- ग्रामीण क्षेत्रों की सभी बालिकाओं एवं महिलाओं को प्रेरित करता है तथा उनकी रचनात्मकता को तराशने का प्रशिक्षण देता है।
- महिलाओं को जागरूक करने के लिए उन्हें हर क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यशाला और पाठ्यक्रम
- आत्म सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बालिकाओं और महिलाओं को संवारने के लिए
- आत्मविश्वास बढ़ाना यह सुनिश्चित करना है कि आलोचनात्मक रूप से कार्य करने की क्षमता विकसित करने के लिए
- महिला सम्मान सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और आवश्यक है चाहे महिला परिवार में हो या अन्य कार्य क्षेत्र में हर महिला को अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
- उनकी पसंद जैसे शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य आदि के लिए उन लोगों की मानसिकता को बदलें जो अभी भी महिलाओं की उपेक्षा करते हैं।
- सशक्तिकरण शब्द केवल किताबों और कागजों में फूलों की भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है लेकिन कहीं-कहीं समाज में अभी भी व्यावहारिक और सही मायने में इसका उपयोग नहीं किया जाता है।

3. निष्कर्ष :

भारत सरकार द्वारा देश की रिपोर्ट के अनुसार "सशक्तिकरण का अर्थ है एक शक्ति को निष्पादित करने के लिए कमजोर स्थिति से आगे बढ़ना" महिलाओं की शिक्षा में महिलाओं की शिक्षा समाज में स्थिति परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली उपकरण है शिक्षा असमानता को कम करती है और बढ़ती है।

उसके परिवार में महिलाओं की स्थिति और वह देश भी जहां वह काम करती है शिक्षा उसके गुणों को सुधारने और बढ़ाने के लिए सभी स्तरों पर मार्गदर्शन और प्रशिक्षण को प्रेरित करती है सरकार बालिकाओं और महिलाओं के लिए उनकी शिक्षा में विभिन्न योजनाएं प्रदान करती है जैसे मुफ्त स्कूली शिक्षा, मध्याह्न भोजन छात्रावास कपड़ा, साइकिल, छात्रवृत्ति ट्रेन रियायत इत्यादि।

शिक्षा महिलाओं को न केवल ज्ञानी बनाती है बल्कि सशक्त और शक्तिशाली बनाती है एक लड़की के सशक्तिकरण की शुरुआत यहां तक कि उद्यम भी बनाती है, इसीलिए महिलाओं के लिए शिक्षा ना सिर्फ देश के आर्थिक विकास में सहयोग करेगी बल्कि महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाएगी।

संदर्भ:

1. अग्रवाल एस और साल्वे एस (2013) महिला शिक्षा की महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता इंडियन जर्नल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन (JERE) ISSN 2231 0495 Vol 3 अंक 4
2. राजस्थान में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का मूल्यांकन भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा समर्थित भारत सरकार द्वारा समर्थित दर्शनशास्त्र के डॉक्टर (वाणिज्य और प्रबंधन संकाय) के पुरस्कार के लिए आवश्यकता की आंशिक पूर्ति में कोटा (राजस्थान) के चंदन मेदतवाल डॉ. आर.ए. गुप्ता विश्वविद्यालय के पर्यवेक्षण के तहत प्रस्तुत किए गए ईआरसीटी 20, दिसंबर, 2014
3. बलवे एस (2015) "भारत योजना पहल में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिला उद्यमिता" साउथेम अर्थशास्त्री 54(3) 11-16
4. शर्मा पी (2016) "महिला अधिकारिता में शिक्षा की भूमिका <http://www> भारतीय युवा नेट/भूमिका पर उपलब्ध और
5. महिला सशक्तिकरण हंस वी बी (2013) में शिक्षा का "उच्च शिक्षा भारत अवसर परिवर्तन।
6. (2017)किशोर एस और गुप्ता के (2009) लिंग समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण



7. कुमार सिन्हा, महिला सशक्तिकरण के नए आयाम अध्याय 10 पृष्ठ संख्या 129, 137 नई दिल्ली दीप और दीप प्रकाशन
8. अंजुगम एम और अलगुमानी टी (2016) सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से माइक्रो फाइनेंस का प्रभाव एक केस स्टडी इंडियन जे एग्री एकाॅन 56 458 59

पुस्तकें

1. बी के मिश्रा और आर के मोहंती (2005) भारतीय शिक्षा में रुझान और मुद्दे ।
2. कैलोइस एल हे- महिला सशक्तिकरण, सफल जीवन जीने के लिए हर महिला की मार्गदर्शिका।

जोधपुर (राजस्थान) में हस्तशिल्प उद्योग में कार्मिक समस्याएँ एवं अभिप्रेरण

डॉ. धीरज जैन

व्यावसायिक प्रशासन विभाग, वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन संकाय
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर (राज)
E-Mail – jdhiraj937@gmail.com

सारांश: सभ्यता के आरंभिक काल से ही भारत में विभिन्न प्रकार की कलाओं का विकास हो गया था। भारत का प्रत्येक क्षेत्र अपने विशिष्ट हस्तशिल्प के लिए विशिष्ट पहचान रखता है। लगभग 350 भारतीय ग्रंथों में मूर्तिकला, काष्ठकारी, चित्रकला, संगीत कला, स्थापत्य कला, आभूषण कला, वस्त्रकला, नाट्य कला, एवं वैधक कला आदि का उल्लेख मिलता है। भारत सदियों से विश्व में हस्तशिल्प का महत्वपूर्ण एवं सर्वोत्कृष्ट केन्द्र रहा है। यहाँ दैनिक जीवन की सामान्य वस्तुएँ भी कोमल कलात्मक रूप में गढ़ी जाती हैं। यह हस्तशिल्प भारतीय हस्तशिल्पकारों की रचनात्मकता को नया रूप प्रदान करते हैं। भारत का प्रत्येक क्षेत्र अपने विशिष्ट हस्तशिल्प पर गर्व करता है।

जोधपुर को हस्तशिल्प और कलात्मक फर्नीचर का हब बनाने में भारत के अनेक राज्यों का योगदान भी प्रशंसनीय है। जोधपुर के हस्तशिल्प निर्यातकों के निर्यातक समुदाय के समर्पण, समर्पण, गतिशीलता और उद्यमिता ने शहर का नाम दुनिया भर में फैला दिया। जोधपुर का हस्तशिल्प क्षेत्र राजस्थान के पश्चिमी भाग की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में मदद करता है,

हस्तशिल्प सामान्य तौर पर हाथों से की गई शिल्पकारी या कारीगरी को कहा जाता है। कुशल लोग सरल उपकरणों से विभिन्न सामान बनाते हैं जिसमें उपभोक्ता सामान से लेकर कागज, लकड़ी, मिट्टी, शिल्स, चट्टान, पत्थर, धातु आदि के सजावटी सामान शामिल हैं। इन वस्तुओं को हस्तशिल्प कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से हाथ से और बिना किसी मशीन की मदद से बनाए गए होते हैं।

कुंजी शब्द :- मूर्तिकला, काष्ठकारी, चित्रकला, आभूषण कला, वस्त्रकला अभिप्रेरण, वेतन वृद्धि, प्रशंसा, पदोन्नति, मनोबल।

1. प्रस्तावना :

हस्तशिल्प सामान्य तौर पर हाथों से की गई शिल्पकारी या कारीगरी को कहा जाता है। कुशल लोग सरल उपकरणों से विभिन्न सामान बनाते हैं जिसमें उपभोक्ता सामान से लेकर कागज, लकड़ी, मिट्टी, शिल्स, चट्टान, पत्थर, धातु आदि के सजावटी सामान शामिल हैं। इन वस्तुओं को हस्तशिल्प कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से हाथ से और बिना किसी मशीन की मदद से बनाए गए होते हैं।

2. हस्तशिल्प उद्योग: ऐतिहासिक परिदृश्य

सभ्यता के आरंभिक काल से ही भारत में विभिन्न प्रकार की कलाओं का विकास हो गया था। भारत का प्रत्येक क्षेत्र अपने विशिष्ट हस्तशिल्प के लिए विशिष्ट पहचान रखता है। भारत की अन्य सांस्कृतिक विरासत और सदियों से विकास कर रही सांस्कृतिक परम्पराओं में देशभर में निर्मित हस्तशिल्प की वस्तुओं की विशिष्ट झलक दिखाई पड़ती है। लगभग 350 भारतीय ग्रंथों में मूर्तिकला, काष्ठकारी, चित्रकला, संगीत कला, स्थापत्य कला, आभूषण कला, वस्त्रकला, नाट्य कला, एवं वैधक कला आदि का उल्लेख मिलता है। जब आधुनिक औद्योगिक सम्यता का जन्मस्थान पश्चिमी यूरोप जब जगली कबीलों का निवास स्थान था। उस समय भारत न केवल कारीगरों की कला के लिए प्रसिद्ध था बल्कि यहां कि कला कौशल से सम्पूर्ण विश्व आश्चर्यचकित था।

भारत सदियों से विश्व में हस्तशिल्प का महत्वपूर्ण एवं सर्वोत्कृष्ट केन्द्र रहा है। यहाँ दैनिक जीवन की सामान्य वस्तुएँ भी कोमल कलात्मक रूप में गढ़ी जाती हैं। यह हस्तशिल्प भारतीय हस्तशिल्पकारों की रचनात्मकता को नया रूप प्रदान करते हैं। भारत का प्रत्येक क्षेत्र अपने विशिष्ट हस्तशिल्प पर गर्व करता है। उदाहरणार्थ कश्मीर कढ़ाई वाली शॉलों, गलीचों, नामदार सिल्क तथा अखरोट की लकड़ी के बने फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान बांधनी, कुन्दन मीनाकारी, हैण्ड ब्लॉक प्रिंटिंग, आभूषण, वस्त्र, कीमती हीरे-जवाहरात एवं जड़ाऊ, ब्लू पॉटरी आदि के लिए प्रसिद्ध है। आंध्रप्रदेश अपने बीदरी के काम तथा पोचमपल्ली की सिल्क साड़ियों के लिए प्रख्यात है। तमिलनाडु मूर्तियों एवं कांजीवरम साड़ियों के लिए जाना जाता है तो मैसूर रेशम और चंदन की लकड़ी की वस्तुओं के लिए तथा केरल की नकककाशी व शीशम की लकड़ी के फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। मध्यप्रदेश की चंदेरी सिल्क, लखनऊ की चिकन, बनारस की किमखाब (ब्रोकेड) और जरी वाली सिल्क साड़ियाँ तथा राजस्थान का टेराकोटा तथा बंगाल का हाथ से बुना हुआ कपड़ा, भारत के विशिष्ट पारम्परिक सजावटी दस्तकारी के उदाहरण हैं। ये कला हजारों सालों से पीढ़ी-दर-पीढ़ी पोषित होती रही हैं और हजारों हस्तशिल्पकारों को रोजगार प्रदान करती रही हैं। भारतीय शिल्पकार देश की शिल्पकला को अन्तराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिला रहे हैं।

3. भारत में हस्तशिल्प उद्योग :

भारत अपनी आत्मीयता के लिए जाना जाता है। जहां तक कला और संस्कृति की बात है भारत दुनिया के सांस्कृतिक तौर पर समृद्ध देशों में से है। देश का ये सौभाग्य रहा है कि यहां बहुत कुशल कारीगर रहे हैं। उन्होंने भारतीय हस्तशिल्प को पूरी दुनिया में मशहूर किया है। कई ग्रामीण लोग आज भी कला के रचनात्मक वस्तुएं बनाकर अपनी आजीविका कमाते हैं।

भारत में हस्तशिल्प उद्योग के विभिन्न प्रकार

विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प बनाने के लिए भारत एक विनिर्माण हब है जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी मशहूर है। भारत में हस्तशिल्प के सबसे प्रसिद्ध रूप इस प्रकार हैं :-

बांस के हस्तशिल्प: बांस का निर्माता होने के कारण भारत में बांस से बने हस्तशिल्प सबसे इको-फ्रेंडली शिल्प होते हैं। बांस से कई तरह का सामान बनते हैं, जैसे टोकरी, गुड़िया, खिलौने, चलनी, चटाई, दीवार पर लटकाने का सामान, छाते के हैंडल, क्रॉसबो, खोराही, कुला, डुकुला, काठी, गहने के बक्से आदि। बांस का ज्यादातर हस्तशिल्प पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में बनता है।

बेंत के हस्तशिल्प: बेंत का सामान भारत में हस्तशिल्प का प्रसिद्ध रूप है जिसमें उपयोगी वस्तुएं जैसे ट्रे, टोकरियां, स्टाइलिश फर्नीचर आदि शामिल हैं।

बेल मेटल के हस्तशिल्प: पीतल के कड़े रूप जिसका उपयोग घंटी बनाने में किया जाता है उसे बेल मेटल कहते हैं। इस कड़ी मिश्र धातु का उपयोग सिंदूर के बक्से, कटोरे, मोमबत्ती स्टैंड, पेंडेंट और कई शिल्प बनाने में किया जाता है। बेल मेटल हस्तशिल्प ज्यादातर मध्यप्रदेश, बिहार, असम और मणिपुर में प्रचलित है। मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प के इस रूप को आदिवासी शिल्प के रूप में जाना जाता है।

हड्डी और सींग के हस्तशिल्प: ओडिशा के राज्य में जन्मे हड्डी और सींग के हस्तशिल्प पक्षी और जानवरों के रूप बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं जो कि बहुत असली और जीवंत लगते हैं। इसके अलावा पैन स्टैंड, गहने, सिगरेट के डिब्बे, टेबल लैंप, मिर्च और नमक के सेट, शतरंज सेट, नैपकिन रिंग, लाफिंग बुद्धा आदि ओडिशा, कर्नाटक, केरल और उत्तर प्रदेश में बनाए जाते हैं।

पीतल के हस्तशिल्प: पीतल के सामानों की ड्यूरेबिलिटी के कारण पीतल के बर्तन मशहूर हैं। पीतल से बने सामान जैसे रेंगते कृष्ण या भगवान गणेश की विभिन्न मुद्राओं की मूर्तियां, फूलदान, टेबल टॉप, छेदवाले लैंप, गहने के बक्से, हुक्का, खिलौने, वाइन ग्लास, प्लेट्स, फलदान और कई वस्तुएं भारतीय घरों में इस्तेमाल होती हैं। इन कारीगरों को कंसारी के तौर पर जाना जाता है। पीतल के बर्तन ज्यादातर राजस्थान में बनाए जाते हैं।

मिट्टी के हस्तशिल्प: सिंधु घाटी सभ्यता में उत्पत्ति होने के बाद से मिट्टी के बर्तन भारत में हस्तशिल्प का सबसे प्राचीन रूप हैं। इस काम में संलग्न लोगों को कुम्हार कहा जाता है। अपने विश्व प्रसिद्ध टेराकोटा रूप के अलावा मिट्टी के हस्तशिल्प में लाल बर्तन, ग्रे बर्तन और काले बर्तन के रूप हैं। उत्तर प्रदेश काले पेंट के बर्तनों के लिए जाना जाता है। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर के अलावा बीकानेर, लखनऊ, पुणे और हिमाचल प्रदेश में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। मिट्टी के बर्तन, सजावटी सामान, गहने आदि पूरे देश में काफी इस्तेमाल किए जाते हैं।

धोकरा के हस्तशिल्प: धोकरा हस्तशिल्प का सबसे पुराना रूप है और अपनी पारंपरिक सादगी के लिए जाना जाता है। इस आदिवासी हस्तशिल्प की उत्पत्ति मध्य प्रदेश में हुई। इन हस्तशिल्पों को बनाने में पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा जैसे राज्य शामिल हैं। धोकरा लोक चरित्र का प्रदर्शन करते अपने अनूठे सामानों के लिए जाना जाता है। सभी हस्तशिल्प दुकानों में धोकरा के गहने, केंडल स्टैंड, पैन स्टैंड, ऐश ट्रे और कई प्रकार के सजावटी सामान मिलते हैं।

जूट के हस्तशिल्प: पूरी दुनिया में जूट हस्तशिल्प में जूट कारीगरों ने अपनी खास जगह बनाई है। जूट शिल्प की विस्तृत रेंज में बैग, ऑफिस स्टेशनरी, चूड़ियां और अन्य गहने, फुटवेयर, वॉल हैंगिंग और कई सामान शामिल हैं। पश्चिम बंगाल, असम और बिहार सबसे बड़े जूट उत्पादक हैं और भारत में जूट हस्तशिल्प बाजार के अगुवा भी हैं।

कागज के हस्तशिल्प: चटकदार रंगों वाले कागज को मिलाकर कई शिल्प जैसे पतंग, मास्क, सजावटी फूल, लैंप शेड, कठपुतली, हाथ के पंखे आदि बनाए जाते हैं। मुगल काल में विकसित हुआ कुट्टी भारत में कागज हस्तशिल्प का प्रसिद्ध रूप है। यह शिल्प उद्योग मुख्य तौर पर दिल्ली, राजगीर, पटना, गया, अवध, अहमदाबाद और इलाहाबाद में स्थित है। इसके अलावा कागज के शिल्पकार लगभग हर शहर में हैं।

रॉक के हस्तशिल्प: रॉक कला का सबसे पुराना रूप रॉक नक्काशी है जो कि राजस्थान, जयपुर, ओडिशा और नागपुर में देखा जा सकता है। राजस्थान, जयपुर और मध्य प्रदेश संगमरमर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की खासियत हरे रंग के पत्थरों की कला है, जबकि पत्थरकट्टी गया का अनूठा रॉक शिल्प है। ओडिशा के प्राचीन मंदिर भारत के रॉक शिल्प के विश्वप्रसिद्ध उदाहरण हैं। कई बर्तन, सजावटी सामान, पत्थर के आभूषण और मूर्तियां रॉक से बनाए जाते हैं।

शैल के हस्तशिल्प: अति प्राचीन काल से भारत में शैल हस्तशिल्प की मांग रही है। शैल हस्तशिल्प तीन तरह के शैल जैसे शंख शैल, कछुआ शैल और समुद्री शैल से बनाए जाते हैं। कई तरह के सामान जैसे चूड़ियां, कांटे, सजावटी कटोरे, लॉकेट, चम्मच, बटन, पर्दे, शैंडलियर, दर्पण फ्रेम, टेबल मेट आदि शैल हस्तशिल्प के सामान हैं। आमतौर पर समुद्री किनारों पर मौजूद जगहें जैसे मन्नार की खाड़ी, गोवा, ओडिशा आदि शैल हस्तशिल्प की जगहें हैं।

चांदी का महीन काम या मीनाकारी या ताराकाशी के हस्तशिल्प : चांदी का महीन काम या ताराकाशी सोने या चांदी के तारों से किया गया हस्तशिल्प का रचनात्मक काम है। चांदी का महीन काम तीन तरह का होता है मीनाकारी, खुल्ला जाल और फूल और पत्तियां। इसके सबसे मशहूर काम में पानदान, चाय की ट्रे, ट्रीकेट बाॅक्स, झुमके, नेकलेस, ब्रेसलेट और अन्य तरह के गहने शामिल हैं। ओडिशा के कटक के अलावा तेलंगाना का करीमनगर भी इस हस्तशिल्प के लिए मशहूर है।

बुनाई या कढ़ाई के हस्तशिल्प: दो धागों के सेट ताना और बाना से बुनकर कपड़ों के उत्पादन को बुनाई कहा जाता है। हस्तशिल्प का यह पारंपरिक रूप खासतौर पर गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिलता है। बुनाई का प्रसिद्ध रूप बांधनी जामनगर और राजकोट में बनाया जाता है। बिहार और कर्नाटक अपने कढ़ाई के काम के लिए जाना जाता है।

लकड़ी के हस्तशिल्प: पत्थर की मूर्तियों के अस्तित्व में आने के बहुत पहले से लकड़ी हस्तशिल्प भारत में प्रचलित था। कुशल कारीगरों द्वारा लकड़ी के टुकड़े को आकार देकर विभिन्न सामान बनाए जाते थे। गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल और उत्तर प्रदेश अपने अनूठे लकड़ी के काम के लिए जाने जाते हैं। कुल्हाड़ी, खिलौने, बर्तन, सजावटी सामान, गहने और कई सजावटी घरेलू सामान जैसे लैंप शेड, मोमबत्ती स्टैंड, सिंदूर के बक्से, गहनों के बक्से, चूड़ी होल्डर आदि कुछ ऐसे सामान्य लकड़ी के शिल्प हैं जो लगभग हर भारतीय घर में उपयोग में आते हैं।

4. अन्य प्रकार के हस्तशिल्प उद्योग

उपर बताए गए हस्तशिल्प के रूपों के अलावा भारत में प्रचलित हस्तशिल्प हैं:- तामचीनी, हस्तशिल्प, ग्लास हस्तशिल्प, कीरीतम हस्तशिल्प, लाक हस्तशिल्प, लेस या जरी हस्तशिल्प, चमड़ा हस्तशिल्प, संगमरमर हस्तशिल्प, धातु हस्तशिल्प, चित्रकारी, पत्थर हस्तशिल्प, तिल्ला जूतीज

भारत में कुछ प्रसिद्ध हस्तशिल्प उद्योग दुकाने इस प्रकार हैं :-

दिल्ली में दिल्ली हाट, बंगलौर में कला माध्यम, दिल्ली और हैदराबाद में एमईएसएच, ताज ग्रुप ऑफ होटल में खज़ाना, भुवनेश्वर में एकाम्रा हाट, जयपुर में राजस्थली.

सारणी सं -1

स्थान	प्रसिद्ध हस्तशिल्प उद्योग दुकान
दिल्ली	दिल्ली हाट
बंगलौर	कला माध्यम
दिल्ली और हैदराबाद	एमईएसएच
ताज ग्रुप ऑफ होटल	खज़ाना
भुवनेश्वर	एकाम्रा हाट
जयपुर	राजस्थली

5. राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग:-

राज्य की शिल्प कला देश-विदेश में अपनी विशेष पहचान रखती है जिसमें हैण्ड ब्लॉक प्रिंटिंग, बन्धेज, टाई एण्ड डाई, दाबू प्रिन्ट, अजरक प्रिन्ट, तारकशी, कुन्दन मीनाकरी, टेराकोटा, थेवा कला, मूर्तियों, कोटा डोरिया, जयपुरी रजाई, लाख शिल्प, कला, मिनिएचर पेन्टिंग, ब्लू पॉटरी, क्ले आर्ट, हैण्डमेड पेपर, जयपुरी एवं जोधपुरी जूती, पेपरमेशी, स्टोन कार्विंग इत्यादि प्रमुख हैं। जिस प्रकार भारत के अनेक क्षेत्रों की कलायें विलुप्त होने के कगार पर जा हैं, उसी प्रकार राज्य की कुछ शिल्पकलाएँ विलुप्त होने के कगार पर हैं, जिसमे मुख्य रूप से औढणा, साझीकला, माण्डणा, आराईश कला, फेटिया कला, ठीकरी कला इत्यादि प्रमुख है।

सारणी सं - 2

हस्तशिल्प उद्योग	स्थान
डोरिया व मसूरिया साड़ियां	कोटा
खेसला, टुकड़ी	बालोतरा, फालना
बंधेज साड़ियां	जोधपुर
चूनरियां व लहरिया	जयपुर
संगमरमर की मूर्तियां	जयपुर
मिट्टी की मूर्तियां	मोलेला गांव, राजसमन्द
लकड़ी के खिलौने	उदयपुर, सवाई माधोपुर
फड़ चित्रण	शाहपुरा, भीलवाड़ा
कठपुतलियां	उदयपुर

कृत्रिम रेशम (टसर) का विकास कोटा, उदयपुर, बाँसवाड़ा जिलों में किया जा रहा है। इसके लिए इन जिलों में अर्जुन के पेड़ लगाये गये है। इन वृक्षों पर तथा शहतून के वृक्षों पर रेशम कीट पालन किया जाता है। चमड़े की मोजड़ी एवं जूतियां बनाने का कार्य नागौर, सिरौही, भीनमाल, टोंक, जोधपुर व जयपुर में किया जाता है।

वनोपज पर आधारित उद्योगों में बीड़ी उद्योग (टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर), माचिस उद्योग (अजमेर, अलवर), बाँस उद्योग (जयपुर, अजमेर), कत्था, गौद व लाख उद्योग (कोटा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर व चित्तौड़गढ़), कागज उद्योग (घोसुण्डा, साँगानेर) आदि प्रमुख हैं।

राज्य में ऊनी धागा बनाने की मिले बीकानेर, चूरू, लाडनू व कोटा में संचालित हैं। ऊनी खादी में जैसलमेर की बरड़ी, बीकानेर के ऊनी कम्बल, चौमू के खेस प्रसिद्ध हैं।

6. अभिप्रेरण :

वास्तविक अर्थ में अभिप्रेरण प्रबन्ध का मानवीय पहलू है व प्रबन्ध कार्मिकों का अभिप्रेरण है, ताकि कार्मिकों की अन्तः संभावनाओं को वास्तविक आकार दिया जा सके।

अभिप्रेरण का महत्व :- अभिप्रेरण प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है जो संस्थान के कार्मिकों को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर निर्देशन अथवा अभिप्रेरित करता है। होटल उद्योग में अभिप्रेरण के महत्व को निम्न बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है:- (1) कर्मचारियों के कार्य संतुष्टि में वृद्धि करना (2) कर्मचारियों के मानवीय व्यवहार का प्रबन्ध करना (3) कार्मिकों के मनोबल में वृद्धि करना (4) संगठनात्मक एवं व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति (5) उत्पादकता में वृद्धि करना (6) कार्मिक समस्याओं में कमी (7) साधनों का अधिकतम उपयोग करना (8) (9) कर्मचारी का सहयोग (11) कार्मिकों में मानसिक शांति (12) उच्च कार्यकुशलता

अभिप्रेरण के मुख्य उद्देश्य:

(i) कार्मिकों को स्वेच्छा से अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करना (ii) कार्मिकों का मनोबल ऊँचा उठाना (iii) मानवीय संसाधनों का सदुपयोग करना (iv) कार्मिकों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करना (v) कार्मिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना (vi) स्वस्थ मानवीय संबंधों का विकास करना (vii) कार्मिकों की कार्य-संतुष्टि में वृद्धि करना (viii) कार्मिकों से सहयोग प्राप्त करना ।

अभिप्रेरण के विभिन्न प्रकार :-

सामान्यतः ये अभिप्रेरणएं कर्मचारी की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती

आंतरिक अभिप्रेरण : आंतरिक अभिप्रेरण वे हैं जो कार्य निष्पादन के समय होती हैं। इसका कार्य के अभिप्रेरण से प्रत्यक्ष संबंध होता है। सामान्यतः ये प्रेरणाएं कर्मचारी की उच्चस्तरीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। इस प्रकार हैं: (i) उपलब्धि, (ii) कार्य मान्यता, (iii) उत्तरदायित्व, व (iv) सहभागिता। ये अभिप्रेरणएं व्यक्ति के अंह की तुष्टि करती हैं।

बाह्य अभिप्रेरण : बाह्य अभिप्रेरण कार्य के समय उत्पन्न नहीं होते, वरन् कार्योपरांत प्राप्त होते हैं। बाह्य अभिप्रेरण हैं : (i) सेवानिवृत्ति योजनाएं, (ii) स्वास्थ्य बीमा, (iii) सवेतन अवकाश, (iv) आनुषंगिक लाभ, आदि।

सामूहिक अभिप्रेरण : सामूहिक अभिप्रेरण जब किसी व्यक्ति विशेष को अभिप्रेरण प्रदान न करके सम्पूर्ण समूह को अभिप्रेरण प्रदान की जाती है तो उसे सामूहिक अभिप्रेरण कहा जाता है। इनमें निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है: (i) अच्छे मानवीय सम्बन्ध का विकास (ii) विकास के अवसरों की उपलब्धि (iii) मनोबल का विकास (iv) सहयोग भावना (v) अच्छी अनुशासन व्यवस्था (vi) सहभागिता (vii) सुझाव व्यवस्था (viii) कुशल संचार व्यवस्था आदि।

व्यक्तिगत अभिप्रेरण : अभिप्रेरणें हैं जो किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से कुशलता व निष्ठा के साथ कार्य निष्पादन करने हेतु प्रदान की जाती हैं। इनमें निम्नलिखित हैं : (i) प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति (ii) वेतन वृद्धि (iii) प्रशंसा (iv) पदोन्नति (v) मान्यता (vi) नौकरी की सुविधा (vii) रचनात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन आदि।

7. हस्तशिल्प उद्योग में अभिप्रेरण का अनुप्रयोग:

(i) हस्तशिल्प उद्योग में लगातार संपर्क, व्यावहारिक सलाह से कार्मिकों को यह आश्वासन मिलेगा कि आप उनकी परवाह करते हैं और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करने को तैयार हैं। प्रबंधक कर्मचारियों को अच्छी तरह से किए गए काम को पुरस्कृत करते हैं। इससे मनोबल बढ़ेगा और पूरी टीम में प्रेरणा बढ़ेगी।, और कार्मिकों को यह आश्वासन भी मिलेगा कि हस्तशिल्प उद्योग के कैरियर उनके प्रगति का एक मार्ग है।

(ii) हस्तशिल्प उद्योग में एक मजबूत और सकारात्मक कार्य वातावरण बनाना और विभिन्न कार्मिकों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर जवाबदेहिता सुनिश्चित करें। विभिन्न कार्मिकों की व्यक्तिगत



भूमिका तय कर सकते हैं इससे उनका ज्ञान और अनुभव बढ़ेगा और ग्राहक कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं, तो इसे साझा करें और सुनिश्चित करें कि कर्मचारी अगली बार इसमें कैसे सुधार कर सकते हैं।

(iii) हस्तशिल्प उद्योग में कार्मिक बहुत निराश हो सकते हैं जब उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी मेहनत, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का परिणाम नहीं मिल रहा है। कार्मिकों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सक्षम बनाएं यदि कार्मिक पुरानी तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं तो नई तकनीक पर विचार करना चाहिए जिससे कर्मचारी और अधिक कुशल होंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सक्षम हो सकते हैं।

(iv) हस्तशिल्प उद्योग में प्रबंधक के लिए नेतृत्व भी एक आवश्यक कौशल है क्योंकि उन्हें एक टीम का नेतृत्व करना होता है जिसमें एक बड़े उद्योग में सैकड़ों लोग शामिल हो सकते हैं। होटल प्रबंधकों को कर्मचारियों से प्रतिक्रिया सुनने, मनोबल में सुधार के लिए कदम उठाने, विभिन्न कर्मचारियों को कार्य सौंपने और त्वरित और आत्मविश्वास से लबरेज निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। अपने नेतृत्व कौशल अक्सर अनुभव के माध्यम से आता है, हालांकि कुशल नेता नेतृत्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और सेमिनार भी प्रदान करते हैं।

8. निष्कर्ष :

अभिप्रेरण प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है जो संस्था के कार्यरत व्यक्तियों को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर निर्देशन अथवा अभिप्रेरित करता है। किसी संस्था के कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए उचित अभिप्रेरणात्मक व्यवस्था का होना अत्यन्त आवश्यक है। यदि कर्मचारियों को कार्य करने के लिए उचित प्रकार से प्रेरित नहीं किया जायेगा तो वे संस्था में पूर्ण कुशलता एवं क्षमता के साथ कार्यों का निष्पादन नहीं करेंगे, फलस्वरूप सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं हो सकेगी।

हस्तशिल्प प्रबंधकों को कर्मचारियों से प्रतिक्रिया सुनने, मनोबल में सुधार के लिए कदम उठाने, विभिन्न कर्मचारियों को कार्य सौंपने और त्वरित और आत्मविश्वास से लबरेज निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। अपने नेतृत्व कौशल अक्सर अनुभव के माध्यम से आता है, हालांकि प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति, वेतन वृद्धि, प्रशंसा, पदोन्नति, मान्यता, नौकरी की सुविधा, रचनात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन, विकास के अवसरों की उपलब्धि, मनोबल का विकास, सहयोग भावना, अच्छी अनुशासन व्यवस्था, सहभागिता, सुझाव व्यवस्था, और कुशल संचार व्यवस्था, अच्छे मानवीय सम्बन्ध का विकास आदि लक्ष्यों की प्राप्ति अभिप्रेरण द्वारा संभव हो सकेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ :

1. जे.एस. माथुर : सेविवर्गीय प्रबन्ध एवं औद्योगिक सम्बन्ध (2001), विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी
2. आर.सी. सक्सेना : श्रम समस्याएँ एवं समाज कल्याण, के. नाथ. एंड. कंपनी, मेरठ
3. वी.सी. सिन्हा : श्रम अर्थशास्त्र, एस.बी.पी.डी., आगरा
4. शर्मा, सुराणा : सेविवर्गीय प्रबंध व औद्योगिक सम्बन्ध, रमेश बुक डिपो, जयपुर
5. सुधा, जी.एस. : मानव संसाधन प्रबन्ध(1999), नेशनल, जयपुर
6. जे.आर.कुम्मत : व्यवसाय प्रबन्ध एवं व्यवहार
7. जी. जी. : लकड़ी शिल्प के विशेष संदर्भ में हस्तशिल्प उत्पादों का उत्पादन और विपणन चुनौतियां। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, VI (1(8)), 97 (2019)
8. भट, यादव : हैंडीक्राफ्ट सेक्टर- द कंफर्टिंग सेक्टर ऑफ एंज्लॉयमेंट रिव्यू। प्रबंधन अध्ययन और आर्थिक प्रणाली (2016)
9. बी.ए रेड्डी : भारत में हस्तशिल्प का विकास और विकास-आंध्र प्रदेश में क्रोकेट लेस उद्योग का एक केस स्टडी। 6(4), 129- 138.(2018)
10. गुप्ता, बीहर : नौकरी का तनाव और कर्मचारी व्यवहार। संगठनात्मक व्यवहार और मानव प्रदर्शन 1979; 23 (3):3

रिपोर्ट एवं पुस्तिका :-

- राजस्थान हस्तशिल्प निति २०२१ उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार
- जोधपुर हस्तशिल्प निर्यातक संघ (JHEA) की वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट।
- हस्तशिल्प के लिए निर्यात संवर्धन परिषद की वार्षिक रिपोर्ट
- भारत सरकार द्वारा आयात निर्यात प्रक्रिया की पुस्तिका



कॉर्पोरेट प्रशासन में उभरती प्रवृत्तियाँ : एक अध्ययन

हरीश जनागल

व्यावसायिक प्रशासन विभाग, वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन संकाय

जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर (राज)

E-Mail: harishjanagal@gmail.com

सारांश : कॉर्पोरेट प्रशासन से तात्पर्य तंत्र प्रक्रिया और संबंधों से है जिसके द्वारा निगमों को नियंत्रित और निर्देशित किया जाता है। यह निगम में विभिन्न प्रतिभागियों जैसे निदेशक मंडल, प्रबंधकों, शेयरधारकों, लेनदारों, लेखा परीक्षकों, नियामकों और अन्य हितधारकों के बीच अधिकारों और जिम्मेदारियों के वितरण की पहचान करता है। इसमें कॉर्पोरेट मामलों में निर्णय लेने के लिए नियम और प्रक्रियाएं भी शामिल हैं, कॉर्पोरेट प्रशासन में वह प्रक्रिया शामिल है जिसके माध्यम से निगम सामाजिक, नियामक और बाजार के माहौल के संदर्भ में उद्देश्यों को निर्धारित करता है। शासन यांत्रिकी में निगम और उनके एजेंटों की मौद्रिक कार्रवाई नीतियां और निर्णय शामिल हैं।

वित्तीय बाजारों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का महत्व विशेष रूप से सामयिक है, लेकिन खराब शासन का समाधान सार्वभौमिक है और विनियमन की किसी भी प्रणाली को नवाचार और ग्राहक की पसंद को प्रोत्साहित करने और मानकों के न्यूनतम सेट को लागू करने के बीच सही संतुलन बनाने की जरूरत है। मौलिक रूप से, हालांकि, इसे इन न्यूनतम मानकों से बहुत आगे जाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए और यह प्रदर्शित करने का प्रयास करना चाहिए कि कॉर्पोरेट संस्कृति को बदलकर, दीर्घकालिक पुरस्कार वास्तव में अधिक हैं (कम से कम नहीं क्योंकि इसका परिणाम कम विनियमन होना चाहिए!) दंडात्मक के रूप में कर व्यवस्थाएं चोरी, परिहार या स्थानांतरण को प्रोत्साहित करती हैं, यह साबित हो गया है कि नियामक बोझ, जबकि कई मामलों में लागत और भ्रम को जोड़ते हुए, लोगों को पता लगाने से बचने के लिए अधिक से अधिक जटिल प्रणालियों का आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया है।

कुंजी शब्द : कॉर्पोरेट गवर्नेंस, शेयरधारक, हितधारक, लेखा परीक्षक, प्रबंधक, नियामक।

1. प्रस्तावना :

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे पिछले तीन दशकों में कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के प्रसार और प्रबंधन शक्ति के दुरुपयोग आदि के कारण एक व्यापक सार्वजनिक चिंता का विषय रहे हैं। पिछले दो दशकों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत का विकल्प मुख्य धारा से हट रहा है। कॉर्पोरेट प्रशासन सिद्धांतों का पालन किया गया है। इस पेपर का मुख्य उद्देश्य कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों को स्पष्ट करना है और किस सीमा तक वे उचित हैं। इस पेपर से यह भी पता चलता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिद्धांत कहां तक जायज है। यह पेपर इस बात पर भी प्रकाश डालता है और जांच करता है कि शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाती है। उचित तकनीकों और उन्नत तंत्र की सिफारिशों पर प्रकाश डाला जाएगा। इसके अलावा प्रासंगिक कार्य और और कर्मचारियों के कल्याण के लिए नियम बनाए जाने चाहिए। इसलिए कॉर्पोरेट प्रशासन धोखाधड़ी, कॉर्पोरेट घोटालों और संगठन के नागरिक और आपराधिक दायित्व की रक्षा करने में मदद करता है जो संगठन की प्रतिष्ठा को समग्र रूप से बढ़ाता है।

1.1 'कॉर्पोरेट शासन' की परिभाषा

यह नियमों, प्रथाओं और प्रक्रियाओं की एक प्रणाली है जिसके द्वारा एक कंपनी को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अनिवार्य रूप से एक कंपनी में कई हितधारकों के हितों को संतुलित करना शामिल है जिसमें इसके शेयरधारक, प्रबंधन, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, फाइनेंसर, सरकार और समुदाय शामिल हैं। चूंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रूपरेखा भी प्रदान करता है, यह व्यावहारिक रूप से प्रबंधन के हर क्षेत्र को शामिल करता है, कार्य योजनाओं और आंतरिक नियंत्रण से लेकर प्रदर्शन माप



और कॉर्पोरेट प्रकटीकरण तक। कॉर्पोरेट गवर्नेंस औपचारिक रूप से स्थापित दिशानिर्देशों को संदर्भित करता है जो यह निर्धारित करता है कि कंपनी कैसे चलती है। कंपनी का निदेशक मंडल दिशानिर्देशों को मंजूरी देता है और समय-समय पर समीक्षा करता है, जिसे कंपनी की दिशा, प्रदर्शन और नियामक प्रथाओं के साथ संरेखित करना चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश एक कंपनी को संयुक्त राज्य अमेरिका की सेवा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के समान सेवा प्रदान करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी के हितधारकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है, जिसमें तीन समूहों पर विशेष जोर दिया जाता है: शेयरधारक जो कंपनी के मालिक हैं निदेशक मंडल जो प्रबंधकों की देखरेख करते हैं और प्रबंधन जो दैनिक कार्यों को चलाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक प्रमुख कार्य यह निर्धारित करना है कि शक्ति कैसी है यह सुनिश्चित करने के लिए इन समूहों के बीच वितरित किया जाता है कि कंपनी निष्पक्ष रूप से और सभी के लिए इष्टतम रूप से चलती है। यह अन्य हितधारकों, जैसे कर्मचारियों, ग्राहकों, लेनदारों और आपूर्तिकर्ता के अधिकारों को भी निर्दिष्ट कर सकता है कॉर्पोरेट नैतिकता में बढ़ती रुचि के साथ कॉर्पोरेट प्रशासन आज भी एक गर्म विषय बना हुआ है

2. अवधारणा और उद्देश्य :

कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सिस्टम, प्रक्रियाओं और सिद्धांतों के एक सेट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके द्वारा एक कंपनी सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में संचालित होती है। यह वह प्रणाली है जिसके द्वारा कंपनियों को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। यह कॉर्पोरेट निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के बारे में है। दूसरे शब्दों में, 'अच्छा कॉर्पोरेट प्रशासन' केवल 'अच्छा व्यवसाय' है। यह सुनिश्चित करता है: कॉर्पोरेट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रकटीकरण और प्रभावी निर्णय लेना; व्यापार लेनदेन में पारदर्शिता; वैधानिक और कानूनी अनुपालन; शेयरधारक हितों का संरक्षण; व्यापार के मूल्यों और नैतिक आचरण के प्रति प्रतिबद्धता। दूसरे शब्दों में, कॉर्पोरेट प्रशासन, निगम के सच्चे मालिक के रूप में शेयरधारकों के अविच्छेद्य अधिकारों और शेयरधारकों की ओर से ट्रस्टी के रूप में उनकी अपनी भूमिका की प्रबंधन द्वारा स्वीकृति है। यह एक कंपनी के मामलों के संचालन से संबंधित है ताकि सभी हितधारकों के लिए निष्पक्षता हो और इसके कार्यों से सबसे बड़ी संख्या में हितधारकों को लाभ हो। इस संबंध में, प्रबंधन को शेयरधारकों के विभिन्न वर्गों के बीच, विशेष रूप से मालिक-प्रबंधकों और बाकी शेयरधारकों के बीच लाभों की विषमता को रोकने की आवश्यकता है।

"अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन" का उद्देश्य अपने शेयरधारकों और अन्य सभी भागीदारों के लिए कंपनी के दीर्घकालिक मूल्य को अधिकतम करने के लिए पारदर्शी तरीके से कंपनी के प्रबंधन में बोर्ड की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना है। यह एक प्रक्रिया में शामिल सभी प्रतिभागियों को एकीकृत करता है, जो आर्थिक और साथ ही सामाजिक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मूल उद्देश्य कॉर्पोरेट प्रदर्शन और जवाबदेही में सुधार करके शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाना और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा करना है। इसलिए यह किसी कंपनी के लिए शेयरधारकों की संपत्ति बढ़ाने की आवश्यकता के बीच हर समय संतुलन बनाने की आवश्यकता के अनुरूप है, जबकि कंपनी में अन्य हितधारकों के हितों के लिए किसी भी तरह से हानिकारक नहीं है। इसके अलावा, इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धी और परस्पर विरोधी हितों वाले लोगों के बीच भरोसे और भरोसे का माहौल पैदा करना है। यह किसी कंपनी के अस्तित्व का अभिन्न अंग है और उच्च विकास और मुनाफे के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करके निवेशकों के विश्वास को मजबूत करता है।

वैश्वीकरण के साथ व्यापार के पैमाने और निगमों के आकार और जटिलता में वृद्धि और इसे नियंत्रित करने का प्रयास करने के लिए निर्मित नौकरशाही, कॉर्पोरेट प्रशासन और आंतरिक विनियमन के महत्व को बढ़ा दिया गया है क्योंकि बाहरी रूप से विनियमित करना तेजी से कठिन हो गया है। यहां हम चार मुद्दों का पता लगाएंगे जो हमारे विचार में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के महत्व को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

1. अखंडता का मुद्दा : क्या कंपनियों के बोर्ड और प्रबंधन नैतिक तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, हमें बेहतर विनियमन की आवश्यकता है जो व्यवसायों को महत्व की पहचान सुनिश्चित करे। प्रबंधन के एक अभिन्न अंग के रूप में कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बॉक्स टिकिंग अभ्यास नहीं हैं।

2. निदेशकों के प्रशिक्षण में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का महत्व : रोकथाम इलाज से बेहतर है, इसलिए मुख्यधारा के निदेशक प्रशिक्षण में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों और अभ्यास का ज्ञान आवश्यक है, यह देखने वाले की नजर में है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जबकि एक तकनीकी लेखपालों, वकीलों आदि के लिए लोकप्रिय समाचार पत्रों के पाठक ईमानदारी, शालीनता, निष्पक्षता जैसे नामों से जाने जाते हैं। इसी तरह, इस क्षेत्र में पेशेवर जिसे संदिग्ध

अभ्यास कहेंगे, उसकी आम जनता द्वारा चीर-फाड़, धोखाधड़ी और कुटिल जैसे शब्दों का उपयोग करके आलोचना की जाती है। इस परिदृश्य में कॉर्पोरेट प्रशासन का महत्व, हमारे दिमाग में, निर्विवाद है। चेक और बैलेंस की एक बेहतर प्रणाली (कॉर्पोरेट गवर्नेंस की मूल परिभाषा) ने चेतावनी के संकेतों को उठाया होगा जो कि बहुत से लोग भेज रहे थे कि ऋण देने का स्तर और मानदंड खतरनाक हो रहा था।

वित्तीय बाजारों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का महत्व विशेष रूप से सामयिक है, लेकिन खराब शासन का समाधान सार्वभौमिक है और विनियमन की किसी भी प्रणाली को नवाचार और ग्राहक की पसंद को प्रोत्साहित करने और मानकों के न्यूनतम सेट को लागू करने के बीच सही संतुलन बनाने की जरूरत है। मौलिक रूप से, हालांकि, इसे इन न्यूनतम मानकों से बहुत आगे जाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए और यह प्रदर्शित करने का प्रयास करना चाहिए कि कॉर्पोरेट संस्कृति को बदलकर, दीर्घकालिक पुरस्कार वास्तव में अधिक हैं (कम से कम नहीं क्योंकि इसका परिणाम कम विनियमन होना चाहिए!) दंडात्मक के रूप में कर व्यवस्थाएं चोरी, परिहार या स्थानांतरण को प्रोत्साहित करती हैं, जबकि यह साबित हो गया है कि नियामक बोझ कई मामलों में लागत और भ्रम को जोड़ते हुए, लोगों को पता लगाने से बचने के लिए अधिक से अधिक जटिल प्रणालियों का आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया है।

कॉर्पोरेट प्रशासन के अपने सिद्धांतों में, ओईसीडी स्वीकार करता है कि "अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन को कंपनी और उसके शेयरधारकों के हितों में उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए बोर्ड और प्रबंधन के लिए उचित प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए और प्रभावी निगरानी की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।" स्पष्ट रूप से, यह कंपनी के सर्वोत्तम हित में नहीं है कि वह व्यवसाय से बाहर हो जाए या सरकारों द्वारा संकट से बाहर हो जाए। इसलिए यह एक ऐसा सिद्धांत नहीं है जिस पर यहां चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन कार्यान्वयन। जैसा कि हमने पहले कहा, जबकि बोर्ड, प्रबंधन और यहां तक कि शेयरधारक भी यह महसूस कर सकते हैं कि वर्तमान कॉर्पोरेट नीति सार्वजनिक धारणा के अनुरूप नहीं है।

3. कॉर्पोरेट प्रशासन के लाभ और इसकी सीमाएं :

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अवधारणा काफी समय से जनता का ध्यान आकर्षित कर रही है। उद्योग और अर्थव्यवस्था के लिए इसकी प्रासंगिकता और महत्व के लिए इसे व्यापक स्वीकृति मिल रही है। यह न केवल एक व्यावसायिक उद्यम की दक्षता में योगदान देता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि और प्रगति में भी योगदान देता है। भारत और विदेशों में कई अध्ययनों ने संकेत दिया है कि बाजार और निवेशक अच्छी तरह से प्रबंधित कंपनियों पर ध्यान देते हैं और उनके प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसी कंपनियों में अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की व्यवस्था होती है, जो प्रभावी जवाबदेही के ढांचे के भीतर रहते हुए बोर्ड और प्रबंधन को अपनी कंपनियों की प्रगति की दिशा में निर्णय लेने और नवाचार करने की पर्याप्त स्वतंत्रता देती है।

आज की वैश्वीकृत दुनिया में, निगमों को पूंजी के वैश्विक पूल तक पहुंचने के साथ-साथ दुनिया के विभिन्न हिस्सों से सर्वोत्तम मानव पूंजी को आकर्षित करने और बनाए रखने की आवश्यकता है। ऐसे परिदृश्य में, जब तक कोई निगम नैतिक आचरण को नहीं अपनाता और प्रदर्शित नहीं करता, तब तक वह सफल नहीं हो पाएगा।

अच्छी कॉर्पोरेट प्रशासन प्रक्रियाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली विश्वसनीयता भी निवेशकों के विश्वास को बनाए रखने में मदद करती है - विदेशी और घरेलू दोनों - अधिक दीर्घकालिक पूंजी को आकर्षित करने के लिए।

एक निगम ग्राहकों, कर्मचारियों, निवेशकों, विक्रेता भागीदारों, सरकार और समाज जैसे विभिन्न हितधारकों की एक मण्डली है। इसके विकास के लिए सभी हितधारकों के सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए एक निगम के लिए यह अनिवार्य है कि वह सर्वोत्तम कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं का पालन करते हुए अपने सभी लेन-देन में अपने सभी हितधारकों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी हो। अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानक किसी कंपनी के परिचालन प्रदर्शन में काफी मूल्य जोड़ते हैं: अनुभव और नए विचारों को लाने वाले स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करके शीर्ष पर रणनीतिक सोच में सुधार; प्रबंधन को युक्तिसंगत बनाना और उस जोखिम की निरंतर निगरानी करना जिसका एक फर्म विश्व स्तर पर सामना करती है; निर्णय लेने की प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक स्पष्ट करके शीर्ष प्रबंधन और निदेशकों के दायित्व को सीमित करना; वित्तीय रिपोर्टों आदि की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना। आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से प्रमुख हितधारकों के बीच इसका दीर्घकालिक प्रतिष्ठात्मक प्रभाव भी है।

अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के लाभ के साथ ही, वित्तीय संकट के उदाहरणों ने कॉर्पोरेट प्रशासन के विषय को सतह पर ला दिया है। उन्होंने रूप के बजाय पदार्थ के अनुपालन पर जोर दिया है, और बौद्धिक ईमानदारी

और अखंडता की आवश्यकता पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी फर्म द्वारा किए गए वित्तीय और गैर-वित्तीय खुलासे उतने ही अच्छे और ईमानदार होते हैं जितने कि उनके पीछे के लोग।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस अब दुनिया भर की कंपनियों द्वारा इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों की संख्या के कारण तेजी से अभ्यास किया जा रहा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अभ्यास एक कंपनी और उसके हितधारकों के साथ-साथ संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है।

4. बेहतर प्रबंधन संबंधी सुझाव :

यदि कोई कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अभ्यास कर रही है, तो फर्म से जुड़े लोग भी इसके शासन का आकलन करने में सक्षम नहीं होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉर्पोरेट प्रशासन का सबसे मौलिक सिद्धांत पारदर्शिता और प्रकटीकरण के सिद्धांत हैं। कंपनी के प्रबंधन पर नियंत्रण रखने वाले कंपनी अधिकारियों द्वारा उठाया गया हर कदम कंपनी और उसके हितधारकों के सर्वोत्तम हित में है। इसका समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और फर्म के बाजार मूल्यांकन और इसलिए, इसकी शेयर कीमत पर प्रतिबिंबित हो सकता है। उच्च स्तर की पारदर्शिता कंपनियों जो सर्वोत्तम प्रथाओं के एक सेट का पालन करती हैं, उन्हें अपने व्यवसाय के बारे में अत्यधिक पारदर्शी होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे उन्हें समुदाय और उसके हितधारकों का विश्वास हासिल करने में मदद मिलती है और जरूरत पड़ने पर पूंजी जुटाने का काम आसान हो जाता है। जैसा कि उच्च स्तर की पारदर्शिता के कारण व्यापार का आकलन और मूल्यांकन करना आसान है, कई निवेशक और वित्तीय संस्थान उन कंपनियों की तुलना में इन कंपनियों को वित्त पोषण करना पसंद करते हैं जो कॉर्पोरेट प्रशासन के मूल सिद्धांतों का पालन नहीं कर रही हैं। हितधारक लाभ कॉर्पोरेट प्रशासन के तहत, एक फर्म फर्म और उसके हितधारकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करती है। यह अधिक सफलता सुनिश्चित करेगा क्योंकि कंपनी प्रबंधकों का लक्ष्य अब कंपनी के लक्ष्यों के साथ संरेखित होगा। इसका परिणाम अधिक लाभ और तेज विकास होगा जिससे कंपनी और सभी हितधारकों को लाभ होगा। प्रतिष्ठा और मान्यता फर्मों द्वारा अपनाई जाने वाली अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रथा उन्हें निवेशकों, ग्राहकों और बड़े पैमाने पर समुदाय का विश्वास हासिल करने की अनुमति देगी। इससे कंपनी की प्रतिष्ठा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इसे एक निष्पक्ष और पारदर्शी कंपनी के रूप में मान्यता मिलेगी। यह छवि कंपनी को लंबे समय में समृद्ध होने और अपने लक्ष्यों को और अधिक तेजी से प्राप्त करने में मदद करेगी। अपव्यय को कम करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अच्छी प्रथाओं से कंपनियों को अपने व्यवसाय में अधिक कुशल बनने में मदद मिलती है। जिन कर्मचारियों को नैतिक व्यवसाय की प्रथाओं का पालन करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, वे कंपनी के संसाधनों की अधिक बर्बादी से बचेंगे, वे सभी संसाधनों का बेहतर उपयोग करेंगे। जोखिम, कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार कम करें एक कंपनी सुशासन की प्रथाओं का पालन करके अपने व्यवसाय में जोखिमों की मात्रा के साथ-साथ भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के किसी भी प्रयास को कम कर सकती है। सुशासन के सिद्धांतों का पालन करने वाली कंपनियों में आवश्यक मात्रा की पारदर्शिता के कारण, अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग करने के इच्छुक कई व्यक्ति ऐसा करने में असमर्थ होंगे।

5. निष्कर्ष

भारत में निर्णायक रूप से बोलते हुए, हमने शेयर धारक बनाम हितधारकों की बहस को हल करने की मांग की है, यह देखते हुए कि शेयर धारक पूंजी और वित्तीय बाजारों के प्रदर्शन में अवशिष्ट दावेदार हैं। जो कुछ भी शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करता है, उसे कॉर्पोरेट समृद्धि को अधिकतम करना चाहिए और लेनदारों, कर्मचारियों के दावों को पूरा करना चाहिए। शेयरधारकों और राज्य। इसके अलावा ऐसे कानून हैं जो कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हैं और विभिन्न कानून बनाए गए हैं जो लेनदारों के अधिकारों को मजबूत करते हैं। उसी समय अन्य हितधारकों के हित को सुनिश्चित करना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बड़े आर्थिक संदर्भ का एक अभिन्न अंग है जिसमें कंपनियां आर्थिक नीतियों और उत्पाद और कारक बाजारों में प्रतिस्पर्धा की डिग्री सहित काम करती हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कानूनी विनियामक और संस्थागत वातावरण पर निर्भर करता है। आजकल कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने की आवश्यकता बढ़ रही है। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए कंपनी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य अन्य स्टेक होल्डर्स के हित को ध्यान में रखते हुए शेयरधारक मूल्य में वृद्धि करना है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता होती है जो निश्चित रूप से कॉर्पोरेट प्रशासन का आधार है।




सन्दर्भ ग्रन्थ :

1. शर्मा, सुराणा : सेविवर्गीय प्रबंध व औधौगिक सम्बन्ध, रमेश बुक डिपो, जयपुर
2. सुधा, जी.एस. : मानव संसाधन प्रबन्ध(1999), नेशनल, जयपुर
3. जगदीश प्रकाश शुक्ला : पब्लिक एन्टरप्राइजेज इन इण्डिया
4. खन्ना, टी. और के.जी. पालेपू : 'ग्लोबलाइजेशन एंड कन्वर्जेस इनकॉर्पोरेट गवर्नेस: एविडेंस फ्रॉम इंफोसिस एंड द इंडियन सॉफ्टवेयरइंडस्ट्री।' जर्नल ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस स्टडीज 35(6): 484-507 (2004)
5. प्रभाकर एस : गवर्नेस एंड स्टेकहोल्डिंग न्यू इकोनॉमी, 5(2), (1998)
6. भगत, एस. , बी. बोल्टन, एट अल : 'द प्रॉमिस एंड पेरिल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेस इंडिसेज' वर्किंग पेपर: 1- 85(2008) | <https://www.makehindime.com>

Benefits to publish in Shikshan Sanshodhan:

- ❖ Shikshan Sanshodhan is an Open-Access, peer reviewed, Indexed, Referred International Journal with wide scope of publication.
- ❖ Author Research Guidelines & Support.
- ❖ Platform to researchers and scholars of different study field and subject.
- ❖ Prestigious Editorials from different Institutes of the world.
- ❖ Communication of authors to get the manuscript status time to time.
- ❖ Full text of all articles in the form of PDF format and Digital Object Identification DOIs.
- ❖ Individual copy of "Certificate of Publication" to all Authors of Paper.
- ❖ Indexing of journal in all major online journal databases like Google Scholar, Academia, Scribd, SSRN, SCOPE and Internet Archive.
- ❖ Open Access Journal Database for High visibility and promotion of your article with keyword and abstract.
- ❖ Organize Conference / Seminar and publish its papers with ISSN.
- ❖ Provides ISSN to Conference / Seminar Special Issue, Proceeding papers Publications.

Published By



RESEARCH CULTURE SOCIETY & PUBLICATION

Email: shikshansanshodhan@gmail.com

Web Email: editor@ijrcs.org

<http://shikshansanshodhan.researchculturesociety.org/>